फाइल सं: 3-3/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./202/खंड-V/2583-94

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Himachal Pradesh

(सामान्य प्रशासन/General Administration)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Dharamshala-176215 Dated: 18 April, 2023

NOTIFICATION

In pursuance to the decision taken vide Item No. 59.18 of 59th Executive Council meeting held on 15th February, 2023 the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to adopt the following UGC regulations in the University:

Sr.No.	UGC Regulations	ANNEXURE
1.	UGC (Credit Framework for Online Learning Courses through SWAYAM) Regulations, 2021	**ANNEXURE-1**
2.	UGC (Establishment and Opertion of Academic Bank Of Credits in Higher Education), Regulations, 2021	**ANNEXURE-2**
3.	UGC (Academic Collaboration between Indian and Foreign Higher Educational Institutions to offer Twinning, Joint Degree and Dual Degree Programmes) Regulations, 2022	**ANNEXURE-3**

18/04/23

(Registrar)

Endst. No. Even. **Dated: 18 April, 2023**

Copy to the following for information and further necessary action:

1. Dean (Academic), Central University of Himachal Pradesh.
2. Dean Student Welfare, Central University of Himachal Pradesh.
3. All Dean/HOD/Director of all School/Department/Center, CUHP.
4. Finance Officer, Central University of Himachal Pradesh.
5. Controller of Examinations, Central University of Himachal Pradesh.
6. Director, Computer Center, CUHP, Dhauladhar Campus, Dharamshala.
7. Librarian, Dhauladhar Campus, Dharamshala.
8. Deputy Librarian, CUHP, Shahpur Campus, Shahpur.
9. System Analyst, Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala-with the request to upload it on the University's website.
10. Assistant Director (Official Language)/Public Relations Officer, HPKV, Dharamshala.
11. Assistant Registrar VC's Secretariat Dharamshala–for the kind information of Hon'ble Vice-Chancellor, please.
12. Guard File.

18/04/23

REGISTRAR

ANNEXURE-1

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032021-226123
CG-DL-E-25032021-226123

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 2021/चैत्र 4, 1943
No. 120] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 2021/CHAITRA 4, 1943

fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

Qk- la 1&100@2016 ¼, evksvks h@bZ&l kexh½.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 12 के खंड (ञ) के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञानार्जन पाठ्यक्रमों की क्रेडिट रूपरेखा) विनियम, 2016 का अधिक्रमण करते हुए, उन विषयों को छोड़कर जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने के लिए छोड़ा गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः–

1- y?kq 'kh"kZd vkSj çkjEHk%&¼d½ इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महत्वाकांक्षी युवाओं हेतु सक्रिय–ज्ञानार्जन के अध्ययन वेब के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञानार्जन पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट रूपरेखा) विनियम, 2021 कहा जाएगा।

¼[k½ ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2- vuqç;ksx%&ये विनियम लागू होंगे.–

¼d½ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के अधीन निर्दिष्ट किए अनुसार केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित या निगमित भारत के सभी विश्वविद्यालयों, ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा सम्बद्ध संस्थानों अथवा स्वायत्त महाविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध गैर–स्वायत्त महाविद्यालयों, और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन सम विश्वविद्यालय, संस्थान अभिप्रेत है।

¼[k½ भारत में किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्थान में नामांकित विद्यार्थी के क्रेडिट अंतरण अभिप्रेत है ।

3- ifjHkk"kk,¡%& (1) इस विनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

¼d½ ''शैक्षणिक परिषद'' से विश्वविद्यालय या सम विश्वविद्यालय संस्थान की अकादमिक परिषद अथवा 'स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञानार्जन क्रेडिट पाठ्यक्रमों की अनुमति से संबन्धित निर्णय सहित अकादमिक मामलों के संबंध में निर्णय लेने के लिए विधिवत शक्ति प्राप्त संस्थान या महाविद्यालय के अकादमिक निकाय अभिप्रेत है।

¼[k½ "शैक्षणिक सत्र" से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी अथवा जुलाई, जैसा भी मामला हो, के महीने से आरंभ होने वाली बारह महीने की अवधि अभिप्रेत है।

¼x½ "अधिनियम" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) अभिप्रेत है।

¼?k½ ''पाठ्यक्रम'' से एक पेपर अभिप्रेत है जिसे विषयों के एक भाग के रूप में कम से कम एक सत्र के लिए पढ़ाया जाता है।

¼3½ ''पाठ्यक्रम समन्वयक'' से किसी शैक्षिक संस्थान के संकाय सदस्य और विषय विशेषज्ञ अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रीय समन्वयक द्वारा चिन्हित किया गया हो और दिए गए विषय में 'स्वयं' पाठ्यक्रम को विकसित करने और डिलीवर करने का कार्य सौंपा गया हो।

¼p½ ''क्रेडिट'' से तात्पर्य उस इकाई को अर्जित करने से है, जिसके लिए विद्यार्थी ने उस इकाई के सन्दर्भ में ज्ञानार्जन के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए अध्ययन का निर्दिष्ट समय पूरा कर लिया है और एक क्रेडिट के लिए अध्ययन के प्रयास का तात्पर्य किसी विद्यार्थी द्वारा कक्षा के शिक्षण में लगने वाले पंद्रह घंटे के समय के बराबर समय उस इकाई की सामग्री को समझने के लिए व्यतीत किया गया हो।

¼N½ ''क्रेडिट पाठ्यक्रम'' से एक पाठ्यक्रम अभिप्रेत है जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम का पालन करता है और जिसके लिए इस विनियम के अंतर्गत क्रेडिट अंतरण की अनुमति प्राप्त है।

¼t½ ''चतुर्थ पदीय दृष्टिकोण'' से ई–ज्ञानार्जन प्रणाली अभिप्रेत है जिसके निम्नलिखित घटक हों, अर्थात;

i. पद–I एक ई–ट्यूटोरियल होगा जिसमें सुव्यवस्थित रूप में दृश्य और श्रव्य विषयवस्तु, एनिमेशन, सिमुलेशन, आभासी (वर्चुअल) लैब निहित हैं।

ii. पद–II एक विषयवस्तु होगी जिसमें ई–पुस्तकें/या शब्दावली, अध्ययन मामला, प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न, वीडियो व्याख्यान प्रतिलेखन और अन्य अध्ययन सामग्री निहित हैं।

iii. पद–III पाठ्यक्रम समन्वयकों और अन्य लोगों के साथ संदेह, राय और टिप्पणियों की चर्चा के लिए एक चर्चा मंच होगा।

iv. पद–IV एक स्वः मूल्यांकन होगा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न समस्याएं, प्रश्नोत्तरी, असाइनमेंट और समाधान होंगे।

¼>½ ''उच्चतर शिक्षा संस्थान'' का अर्थ है किसी केंद्रीय अधिनियम, किसी प्रांतीय अधिनियम या राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्थापित या गठित विश्वविद्यालय जिसे आयोग की धारा दो के खंड (च) के तहत संदर्भित किया जाता है, और एक ऐसी संस्था जिसे उक्त अधिनयम की धारा तीन के तहत सम विश्वविद्यालय माना जाता है , जो उच्च शिक्षा या अनुसंधान के क्षेत्र में पारंपरिक माध्यम से या मुक्त और दूरस्थ शिक्षा माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहा है।

¼¥½ ''मेजबान संस्थान'' जो उस विनियमित प्राधिकरण द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त या अनुमोदित उच्चतर शिक्षा संस्थान अभिप्रेत है, जिससे पाठ्यक्रम की पेशकश कर रहे पाठ्यक्रम समन्वयक का संबंध है।

¼V½ ''वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम'' से ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम अभिप्रेत हैं जो चतुर्थ पदीय दृष्टिकोण का पालन करते हुए शिक्षा शास्त्र के अनुसार विकसित किए जाते हैं।

¼B½ ''राष्ट्रीय समन्वयक से राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी या संस्थान अभिप्रेत हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को बनाने के समन्वय के प्रयोजन और किसी निर्दिष्ट विषय या ज्ञानार्जन के स्तर में उनकी गुणवत्ता और वितरण के पर्यवेक्षण के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हो।

¼M½ ''मूल संस्थान'' से वह उच्चतर शिक्षा संस्थान अभिप्रेत है जहां छात्र का नामांकन होता है।

¼<½ ''पर्यवेक्षणाधीन (प्रोक्टर्ड) परीक्षा'' से अनुमोदित व्यक्ति या प्रौद्योगिकी सक्षम पर्यवेक्षण के अधीन आयोजित परीक्षा अभिप्रेत है जो परीक्षण लेने वाले की पहचान और परीक्षण लेने वाले परिवेश, या तो पेन–पेपर पद्धति में या कंप्यूटर आधारित परीक्षण पद्धति में या पूर्ण ऑनलाइन पद्धति में जैसा अनुमत हो सकता है, की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करती है।

¼.k½ ''कार्यक्रम'' से एक डिप्लोमा सहित, स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम अभिप्रेत है।

¼r½ ''स्वयं बोर्ड'' भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम 'स्वयं' और 'स्वयं प्रभा' कार्यक्रम की देखरेख के लिए गठित बोर्ड अभिप्रेत है।

¼Fk½ ''स्वयं दिशानिर्देश'' से तत्कालीन भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, द्वारा 1 tu] 2017 को जारी 'स्वयं' के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को विकसित करने के लिए दिशानिर्देश, समय–समय पर यथा संशोधित, अभिप्रेत हैं।

¼n½ ''स्वयं मंच'' से ऑनलाइन ज्ञानार्जन पाठ्यक्रमों की पेशकश के प्रयोजन से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित और कार्यात्मक सूचना प्रौद्योगिकी मंच अभिप्रेत है।

¼2½ ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों का जिनका कोई अर्थ परिभाषित नहीं किया गया है, उन्हें क्रमानुसार दिए गए विनियम में प्रयुक्त अर्थ के समान माना जाएगा।

4- **^Lo; a आधारित ऑनलाइन ज्ञानार्जन पाठ्यक्रम%&** ¼d½ 'स्वयं' आधारित ऑनलाइन क्रेडिट पाठ्यक्रमों की अनुसूची को हर वर्ष के जनवरी और जुलाई सत्र से आरंभ होने वाले पारंपरिक शिक्षा सत्र के साथ श्रेणीबद्ध किया जाएगा।

¼[k½ 'स्वयं' आधारित ऑनलाइन क्रेडिट पाठ्यक्रमों का विकास, वितरण और मूल्यांकन केवल पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जाएगा।

¼x½ राष्ट्रीय समन्वयक द्वारा 'स्वयं बोर्ड' के पूर्व अनुमोदन से 'स्वयं' दिशा–निर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम समन्वयक को चिन्हित किया जाएगा।

¼?k½ पाठ्यक्रम समन्वयक मेजबान संस्थान के माध्यम से 'स्वयं' ऑनलाइन क्रेडिट पाठ्यक्रमों की पेशकश करेगा जो क्रेडिट अंतरण के लिए अंतिम अवधि पर्यवेक्षण (प्रोक्टर्ड) परीक्षा के पश्चात ग्रेड के साथ प्रमाण पत्र जारी करेगा।

¼³½ आगामी सत्र के लिए 'स्वयं' आधारित ऑनलाइन क्रेडिट पाठ्यक्रमों की सूची को प्रत्येक वर्ष जनवरी सत्र के लिए 01 नवंबर से पहले और जुलाई सत्र के लिए 1 जून से पहले 'स्वयं' मंच पर अधिसूचित किया जाएगा।

¼p½ सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान 'स्वयं' आधारित ऑनलाइन क्रेडिट पाठ्यक्रमों की अधिसूचना की तारीख से चार सप्ताह के भीतर उप–विनियम (ङ) के अधीन इसके सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से विचार करेंगे, 'स्वयं मंच' के माध्यम से प्रदान किए जा रहे ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों और उनकी अकादमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उन पाठ्यक्रमों पर निर्णय लेंगे, जिसके क्रेडिट अंतरण के लिए वे अनुमति प्रदान करेंगे।

¼N½ उप–विनियम (च) में निहित होने के बावजूद, वे सभी संस्थान किसी विशिष्ट कार्यक्रम में ऑनलाइन ज्ञानार्जन क्रेडिट पाठ्यक्रम के माध्यम से एक सत्र में कुल पाठ्यक्रमों के चालीस प्रतिशत तक की ही अनुमति प्रदान कर सकते हैं, जैसा कि 'स्वयं मंच' के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

¼t½ शैक्षणिक परिषद अपने मूल संस्थान में छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट के अंतरण की प्रक्रिया में तेजी ला सकती है।

¼>½ अकादमिक परिषद, विभाग के प्रमुख की सिफारिश पर क्रेडिट अंतरण के लिए 'स्वयं मंच' के द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट पाठ्यक्रमों को अनुमोदित प्रदान करने के लिए अकादमिक डीन या अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड को अनुमति प्रदान कर सकती है।

¼¥½ 'स्वयं मंच' द्वारा ऑनलाइन ज्ञानार्जन के उचित और सुचारू संचालन की अनुमति देते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पाठ्यक्रमों को करने के लिए अनिवार्य भौतिक सुविधाओं जैसे कंप्यूटर सुविधाएं, पुस्तकालय आदि को मुफ्त और पर्याप्त मात्रा में, मूल संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

¼V½ मूल संस्थान पंजीकरण से लेकर क्रेडिट पाठ्यक्रम के पूरा होने तक छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए एक संकाय सदस्य को सुविधा प्रदाता के रूप में नामित करेगा।

5- ØfMV&vk/kkfjr ,evksvkslh dk ewY;kadu vkSj çek.ku%& ¼d½ मेजबान संस्थान और पाठ्यक्रम समन्वयक, 'स्वयं मंच' पर प्रस्तुत किए गए क्रेडिट–आधारित एमओओसी के लिए पंजीकृत छात्रों के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होंगे।

¼[k½ किसी पाठ्यक्रम का अंतिम मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन और सत्र की अंतिम परीक्षा पर आधारित होगा और आंतरिक मूल्यांकन (अधिकतम तीस प्रतिशत अंकों के साथ) चर्चा मंचों, प्रश्नोत्तरी, असाइनमेंट, सत्रीय परीक्षाओं जैसे माध्यमों पर आधारित होगी और किसी पाठ्यक्रम की पूर्ण मूल्यांकन योजना की घोषणा पाठ्यक्रम के शुभारंभ के समय की जाएगी।

¼x½ सत्र की अंतिम परीक्षा हेतु ऑनलाइन पद्धति को प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते कि पाठ्यक्रम समन्वयकों को अंतिम परीक्षा संचालन की पद्धति अर्थात ऑनलाइन या पेन और पेपर, के बारे में निर्णय करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा और पाठ्यक्रम की पेशकश करते समय पाठ्यक्रम की समीक्षा में इसकी घोषणा की जाएगी।

¼?k½ सभी 'स्वयं' आधारित क्रेडिट पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम अवधि की पर्यवेक्षण (प्रोक्टर्ड) परीक्षा पूरे देश में या तो 'स्वयं बोर्ड' द्वारा या भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी।

¼³½ परीक्षा के आयोजन और मूल्यांकन के पूरा होने के बाद, पाठ्यक्रम समन्वयक, घोषित मूल्यांकन योजना के अनुसार मेजबान संस्थान के माध्यम से अंक या ग्रेड प्रदान करेगा।

¼p½ 'स्वयं' आधारित क्रेडिट पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के संबंध में एक प्रमाण पत्र पर राष्ट्रीय समन्वयक और मेजबान संस्थान के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सत्र की अंतिम परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि से चार सप्ताह के भीतर 'स्वयं मंच' पर उपलब्ध कराया जाएगा।

¼N½ मूल संस्थान विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक या ग्रेड को अंक तालिका में शामिल करेगा जिसकी गणना विश्वविद्यालय/सम विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा डिग्री/डिप्लोमा के अंतिम अवार्ड के लिए की जाती है।

6- 'Lo;a vk/kkfjr ikBîØeksa dh ØsfMV xfr'khyrk%& ¼d½ मूल संस्थान कार्यक्रम की क्रेडिट योजना में, 'स्वयं मंच' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञानार्जन पाठ्यक्रमों द्वारा अर्जित क्रेडिट के लिए विद्यार्थी को क्रेडिट के समान महत्व देगा।

¼[k½ कोई भी विश्वविद्यालय 'स्वयं मंच' के माध्यम से अर्जित पाठ्यक्रमों की क्रेडिट गतिशीलता के लिए किसी भी छात्र को इंकार नहीं करेगा ।

7- 'Lo;a vk/kkfjr ikBîØeksa ds ek/;e ls fo'ofo|ky; ds fu;eksa vkSj fofu;eksa esa fuckZ/k ,dhdj.k ds fy, vko';d la'kks/ku dh vko';drk%& प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान आधिकारिक राजपत्र में इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवश्यक संशोधन करेगा, जैसा कि आवश्यक हो सकता है, उनके कानूनों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों में 'स्वयं' आधारित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से निर्बाध रूप से इन नियमों को अपनाने और शामिल करने के लिए आवश्यक हो ।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./556/2020–21]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2021

No. F. 1-100/2016(MOOCs/e-content).- In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 26 read with clause (j) of section 12 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and in supersession of the UGC (Credit Framework for Online Learning Courses through SWAYAM) Regulations, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Application.- These regulations shall apply to,-

(a) all universities established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or State Act as referred to under clause (f) of section 2 of the University Grants Commission Act, 1956, institution or college recognised by or affiliated to such universities and an institution deemed to be university under section 3 of the said Act.

(b) the transfer of credits of such students who are enrolled in any higher education institution in India.

3. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "academic council" means the academic council of the university or institution deemed to be a university or the academic body of the institution or college duly empowered to take decision regarding the academic matters including the decision regarding permitting online learning credit courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM);

(b) "academic session" means the duration of twelve months commencing either in the month of January or in the month of July, as the case may be, of every calendar year;

(c) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);

(d) "course" means a paper which is taught for at least one semester as a part of a subject;

(e) "course-coordinator" means a faculty member and subject matter expert belonging to an higher education institution, identified and entrusted with the task of developing and delivering SWAYAM Course in a given subject by a National Coordinator;

(f) "credit" means the unit award gained as a learning outcome by a student by study efforts required to acquire the specified level of learning in respect of that unit and study effort for one credit means time required by a student to understand the contents equivalent to fifteen hours classroom teaching;

(g) "credit course" means a course which follows an academic curriculum and for which credit transfer is permissible under these regulations;

(h) "four quadrant approach" means the e-learning system that has the following components, namely:-

(i) Quadrant-I, which shall be an e-Tutorial containing video and audio content in an organised form, animations, simulations, virtual labs;

(ii) Quadrant-II, which shall be an e-Content containing e-Books or glossary, case study, frequently asked questions transcriptions of video lectures and any other study materials;

(iii) Quadrant-III, which shall be a discussion forum, for discussion of doubts, opinions and comments with course-coordinators and others;

(iv) Quadrant-IV, which shall be a self-assessment process that shall contain multiple choice questions, problems, quizzes, assignments and solutions;

(i) "higher education institution" means a university established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or State Act as referred to under clause (f) of section 2 of the Act, institution or college recognised by or affiliated to such university and an institution deemed to be a university under section 3 of the Act which is offering programmes through conventional mode or through open and distance learning mode or through online mode, in the area of higher education or research therein;

(j) "Host Institution" means the higher education institution duly recognised or approved by the regulating authority, to which the course-coordinator offering the course belongs;

(k) "Massive Open Online Courses (MOOCs)" mean such online courses which are developed as per the pedagogy following the four quadrant approach;

(l) "National Coordinator" means a National level agency or institution designated as such by the Central Government, for the purpose of coordinating the production of the online courses and for overseeing their quality and delivery in a designated discipline or level of learning;

(m) "parent institution" means the higher education institution where the student is enrolled;

(n) "proctored examination" means the examination conducted under the supervision of approved person or technology enabled proctoring which ensures the identity of the test taker and the integrity of the test taking environment, either in pen-paper mode or in computer based testing mode or in full-fledged online mode, as may be permissible;

(o) "programme" includes a diploma, undergraduate or postgraduate degree programme;

(p) "SWAYAM Board" means the board constituted by the Government of India in the Ministry of Education to oversee Massive Open Online Courses, SWAYAM and SWAYAM Prabha programmes;

(q) "SWAYAM guidelines" means the guidelines for developing online courses for SWAYAM programmes issued on the 1st June, 2017 by the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Human Resource Development and as amended from time to time;

(r) "SWAYAM platform" means an Information Technology platform developed and made functional by the Government of India in the Ministry of Education, for the purpose of offering online learning courses.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the same meanings as respectively, assigned to them in the Act.

4. SWAYAM based online credit courses.- (1) The schedule of the SWAYAM based online credit courses shall be aligned with the conventional education semester commencing in the month of January and July of every year.

(2) The SWAYAM based online credit courses shall be developed, delivered and assessed only by the course-coordinator.

(3) The course and course-coordinator shall be identified by the National Coordinator in accordance with the SWAYAM guidelines with the prior approval of the SWAYAM Board.

(4) The course-coordinator shall offer the SWAYAM based online credit courses through the Host Institution which shall issue the certificate with grades after the end term proctored examination for credit transfer.

(5) The list of SWAYAM based online credit courses for the ensuing semester shall be notified on the SWAYAM platform before the 1st November for the January semester and before the 1st June for the July semester, every year.

(6) All higher education institutions shall within four weeks from the date of notification of the SWAYAM based online credit courses under sub-regulation (5) shall consider through their competent authority the online learning courses which may be offered through the SWAYAM platform; and keeping in view their academic requirements shall decide upon the courses which they shall permit for credit transfer.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (6), the higher education institution may allow only up to forty per cent. of the total courses, being offered in a particular programme in a semester, through the online credit course, through the SWAYAM platform.

(8) The academic council may expedite the process of transfer of credit earned by the student at their parent institution.

(9) The academic council may allow the Dean (Academics) or Chairman, Board of Studies, to approve the online credit courses of SWAYAM platform for credit transfer on the recommendation of the Head of the Department.

(10) For proper and smooth conduct of the online learning of credit course offered on SWAYAM platform, the parent institution shall ensure that the physical infrastuctures *viz,* computer facilities, library, etc, essential for pursuing such courses are made available for free and in adequate measure.

(11) The parent institution shall designate a faculty member as a facilitator to guide the students from registration till completion of the credit course.

5. Evaluation and certification of credit-based MOOCs.- (1) The Host Institution and the course-coordinator shall be responsible for evaluating the student registered for the credit-based MOOCs offered on SWAYAM platform.

(2) The final evaluation of a course shall be based on internal assessment and semester end examination and the internal assessment (with a maximum of thirty per cent. marks) based on instruments such as discussion forums, quizzes, assignments, sessional examinations and the complete evaluation scheme of a course shall be announced at the time of launch of the course.

(3) Online semester end examination shall be the preferred mode provided that the course-coordinator shall be authorised to decide on the mode of conducting the final examination, either through online mode or pen and paper mode and this shall be announced in the overview of the course at the time of offering of the course.

(4) The term end proctored examination for all the SWAYAM based credit courses shall be conducted either by the SWAYAM Board or by any other agency authorised by the Government of India in the Ministry of Education, across the country.

(5) After conduct of the examination and completion of evaluation, the course-coordinator, through the Host Institution, shall award marks or grades, as per the evaluation scheme announced.

(6) A certificate regarding successful completion of the SWAYAM based credit course shall be signed by the National Coordinator and authorised signatory of the Host Institution and shall be made available on

SWAYAM platform within four weeks from the date of declaration of the semester end examination result.

(7) The parent institution shall incorporate the marks or grades obtained by the student in the marks sheet that counts for final award of the degree or diploma by the university or Institution deemed to be a university.

6. Credit Mobility of SWAYAM based Courses.- (1) The parent institution shall give the equivalent credit weightage to the student for the credits earned *vide* online learning credit courses through SWAYAM platform, in the credit plan of the programme.

(2) No university shall refuse any student for credit mobility of courses earned through SWAYAM platform.

7. Amendments in rules and regulations for seamless integration through SWAYAM based online courses.- Every higher education institution shall within four weeks from the date of publication of these regulations in the Official Gazette make the necessary amendments, as may be required, in their statutes, ordinances, rules and regulations to adopt and incorporate the provisions of these regulations for seamless integration through SWAYAM based online courses.

Prof. RAJNISH JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./556/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.25 23:11:51 +05:30

ANNEXURE-2

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072021-228549
CG-DL-E-29072021-228549

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 2021/श्रावण 6, 1943
No. 302] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 2021/SHRAVANA 6, 1943

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

मि. सं. 14-31/ 2018 (सी॰पी॰पी॰--II).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (च) और (छ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के अनुमोदन से एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः

1. **लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन :** (1) इन विनियमों को **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का (उच्चतर शिक्षा में एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021** कहा जाएगा।

(2) ये विनियम एक केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या एक राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित भारत में सभी विश्वविद्यालयों; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थान; और इन विनियमों में परिभाषित स्वायत्त महाविद्यालयों पर लागू होंगे।

(3) वे भारत के राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएं:-** इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा वांछित न हो

(क) "अधिनियम" का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) है;

(ख) "एकेडमिक बैंक खाता" का अर्थ एक विद्यार्थी द्वारा एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ खोला गया और संचालित एक व्यक्तिगत खाता है, जिसमें विद्यार्थी द्वारा अध्ययन किए गए पाठ्यक्रमों से अर्जित सभी शैक्षणिक क्रेडिट निक्षेपित, मान्य, संचित, पोषित, अंतरित, पुष्टिकृत अथवा किसी उपाधि प्रदान वाली संस्था द्वारा डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र आदि प्रदान करने के प्रयोजन से विमोचित किए जाते हैं;

(ग) "एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक" का अभिप्राय एक अकादमिक व्यवस्था मे है, जो एक डिजिटल या वर्चुअल या ऑनलाइन इकाई के रूप में है, जिसे आयोग द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से स्थापित किया गया है, ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक खाताधारक बनना सुगम हो सके, जिसके फलस्वरूप क्रेडिट स्वीकृति, क्रेडिट संचयन, क्रेडिट अंतरण और क्रेडिट मोचन की औपचारिक प्रणाली के माध्यम से उपाधि प्रदान करने वाले वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों में या ऐसे संस्थानों के मध्य विद्यार्थियों की निर्बाध अंतरणीयता का मार्ग प्रशस्त हो;

(घ) "शैक्षणिक लचीलापन" का अर्थ है, दृढ़ पाठ्यचर्या को हटाते हुए अध्ययन विषयों में पाठ्यक्रमों के रचनात्मक संयोग से अन्तर्निमेय व अभिनव पाठ्यविषयी संरचना के प्रावधान से अध्ययन हेतु बहुप्रवेश एवं बहुनिर्गम की सुविधा के साथ डिग्री या डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र की पेशकश को सक्षम कर जीवन पर्यंत अधिगम की नवीन संभावनाओं का निर्माण करना;

(ङ) "स्वायत्त महाविद्यालय" का अर्थ ऐसे किसी भी संस्थान से है, चाहे वह इस नाम से जाना जाता है या किसी अन्य नाम मे, जिसे आयोग द्वारा संबद्ध विश्वविद्यालय और संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों पर स्वायत्तता का दर्जा दिया गया है, जिसके आधार पर यह अकादमिक और रचनात्मक लचीलेपन के साथ एक पाठ्यक्रम या शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करता है; एवं एक विश्वविद्यालय मे कोई योग्यता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के विधान एवं अध्यादेशों के अनुरूप ऐसे पाठ्यक्रम या शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किए जाने तथा ऐसे पाठ्यक्रमों या शैक्षणिक कार्यक्रमों में अध्यायनरत विद्यार्थियों को संगत योग्यता प्रदान किए जाने बाबत परीक्षा कराये जाने हेतु वर्तमान में मान्यता प्राप्त है;

(च) "आयोग" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (क) में दिया गया है;

(छ) "पाठ्यक्रम" का अर्थ उन विहित इकाइयों में एक से है जो एक निर्दिष्ट अध्ययन कार्यक्रम में समावेशित होती हैं;

(ज) "क्रेडिट" का अभिप्राय एक सेमेस्टर (13-15 सप्ताह) की अवधि के लिए प्रति सप्ताह सिद्धांत-कक्षा के एक घंटे या एक घंटे के ट्यूटोरियल या दो घंटे के प्रयोगशाला कार्य के परिणामस्वरूप एक क्रेडिट प्रदान किए जाने की मानक गणना पद्धति से है; जो एक उच्चतर शिक्षण संस्थान, जिस पर ये विनियम लागू होंगे, प्रदान करता है; और इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशिप के प्रति एक सप्ताह में एक क्रेडिट होगी, अधिकतम छह क्रेडिट की सीमा तक;

(झ) "क्रेडिट-संचय" का अभिप्राय एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक द्वारा 'एकेडमिक बैंक खाते' में विद्यार्थियों द्वारा निक्षेपित किए गए 'क्रेडिट' को स्थानांतरित करने और समेकित करने से है जो उनके द्वारा किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन से अर्जित किए गए हों;

(ञ) "क्रेडिट-मान्यता" का अभिप्राय एक पंजीकृत उच्च शिक्षण संस्थान के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स और ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा सीधे एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक को हस्तांतरित क्रेडिट्स से है;

(ट) "क्रेडिट-रिडेम्पशन" का अभिप्राय पंजीकृत डिग्री प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या पीएचडी कोर्स वर्क आदि के लिए 'क्रेडिट आवश्यकताओं' को पूरा करने के उद्देश्य से एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक में बनाए गए विद्यार्थियों के ' एकेडमिक बैंक खाते' में अर्जित 'क्रेडिट' को विनिमय करने की प्रक्रिया से है;

(ठ) "क्रेडिट-अंतरण" का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान भारत में किसी भी पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान में नामांकित विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किए गए 'पाठ्यक्रमों' के सापेक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्रेडिट मानदंडों का अनुपालन करते हुये उसके व्यक्तिगत एकेडमिक बैंक खातों में निर्धारित 'क्रेडिट' प्राप्त करने या प्रदान करने में सक्षम हैं;

(ङ) "उच्चतर शिक्षा संस्थान" का अर्थ उन संस्थानों से है जिन्हें स्वयं या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अनुसार डिग्री प्रदान करने का अधिकार है;

(ढ) "व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय" का अर्थ उच्चतर शिक्षा के प्रासंगिक क्षेत्रों में मानकों को निर्धारित करने और बनाए रखने के लिए संसद के एक अधिनियम के तहत निर्मित, स्थापित या गठित एक नियामक या प्रमुख निकाय है;

(ण) "कार्यक्रम" या "अध्ययन-कार्यक्रम" का अर्थ अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के तहत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उपाधियों के संगत लक्षित उच्च शिक्षा कार्यक्रम है;

(त) "पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान" का अर्थ एक योग्य उच्चतर शिक्षा संस्थान है जो इन विनियमों के तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट द्वारा पंजीकृत है;

(थ) "सांविधिक प्राधिकरण" का अभिप्राय उच्चतर शिक्षण संस्थानों के सांविधिक निकाय, जैसे कि शासी परिषद या कार्यकारी परिषद या सिंडिकेट या प्रबंधन बोर्ड या शैक्षणिक परिषद, से है जो संस्था की ओर से निर्णय लेने के लिए सक्षम हों;

(द) "विद्यार्थी" का अर्थ है एक उच्चतर शिक्षा संस्थान में एक निर्दिष्ट क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम या अध्ययन-कार्यक्रम में प्रवेशित और अध्ययनरत व्यक्ति।

3. एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक. – (1) एकेडमिक क्रेडिट बैंक, इन विनियमों के माध्यम से बनाए गए उपयुक्त क्रेडिट ट्रांसफर तंत्र के साथ देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम ढांचे और अंतःविषय या बहु-विषयक शैक्षणिक गतिशीलता के लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सुविधा होगी; और जो मल्टीपल एंट्री-मल्टीपल एग्जिट के साथ-साथ कहीं, भी कभी भी और किसी भी स्तर की शिक्षा के सिद्धांत पर कार्य करते हुये विद्यार्थियों को डिग्री या डिप्लोमा या स्नातकोत्तर-डिप्लोमा या शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का सीखने का रास्ता चुनने की सुविधा प्रदान करेगा।

(2) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक उच्चतर शिक्षा के कई विषयों के एकीकरण को सक्षम करेगा, जिससे उन्नत रचनात्मकता, नवाचार, उच्चकोटि की सोच और विवेचनात्मक विश्लेषण सहित वांछित सीखने के परिणाम प्राप्त होंगे।

(3) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक कई उच्चतर शिक्षा विषयों या संस्थानों में अध्ययन-कार्यक्रम में व्यापक विकल्पों के साथ पाठ्यचर्या में लचीलापन, तथा अनूठे और रुचिकर पाठ्यक्रमों के विकल्प प्रदान करके विद्यार्थियों को सार्थक स्वायत्तता प्रदान करेगा।

4. एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के उद्देश्य.- (1) देश भर में उच्चतर शिक्षा में शिक्षार्थी के अनुकूल दृष्टिकोण के साथ विद्यार्थी केंद्रितता को बढ़ावा देना और उच्चतर शिक्षा में अधिक अंतःविषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।

(2) विद्यार्थियों को उनकी अभिवृत्ति और ज्ञानेच्छा के अनुरूप सर्वोत्तम पाठ्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के संयोजन का चयन करने में सक्षम बनाना।

(3) विद्यार्थियों को संगत व्यवस्था और लागत के साथ अपनी पढ़ाई के गतिक्रम को चुनने की अनुमति देना।

(4) विद्यार्थियों को एक विश्वविद्यालय या स्वायत्त महाविद्यालय के दृढ़, नियमित रूप से नियत डिग्री या पाठ्यक्रमों के बजाय अपनी डिग्री को तैयार करने या विशिष्ट आशोधन या विशेषज्ञताएं करने की अनुमति देना।

(5) विद्यार्थियों को उनकी समय की प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी डिग्री पूरी करने के लिए मल्टीपल एंट्री-मल्टीपल एग्जिट को सक्षम बनाते हुये, डिग्री या डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम या पीएचडी हेतु कोर्स वर्क के लिए विभिन्न विषयों और उच्चतर शिक्षा संस्थान के मध्य विद्यार्थियों को अंतरणीयता प्रदान करना।

(6) उन्नत अंतरणीयता के साथ परिसरों या विश्वविद्यालयों या स्वायत्त महाविद्यालयो में एकीकरण के माध्यम से वितरित और मिश्रित तरीके से होने वाली शिक्षण-अधिगम गतिविधियों को प्रक्रियात्मक रूप से प्रोत्साहन देना।

(7) सभी के लिए, अर्थात, पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों माध्यमों के औपचारिक और अनौपचारिक विद्यार्थियों के बीच आजीवन अधिगम को सुलभ करना,

(8) ज्ञानेच्छा को परिपूरित करने के लिए, अपनी शैक्षणिक दिशाओं को चुनने और बदलने की स्वतंत्रता, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने और विद्यार्थियों को अपने जीवन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए सही नींव और बिल्डिंग ब्लॉक हासिल करने में मदद करने के लिए।

5. क्रेडिट के एकेडमिक बैंक की संगठनात्मक संरचना.- (1) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक अपने हितग्राहियों के रूप में विद्यार्थियों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों के एकेडमिक क्रेडिट डेटाबेस की एक डिजिटल या आभासी या ऑनलाइन संग्रहागार इकाई होगी।

(2) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक को "राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार" की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा; और उच्चतर स्तर की शिक्षा के सभी हितधारकों के उपयोग के लिए एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक और इसके परिचालन तंत्र के सभी विवरण प्रदान करने वाली एक सक्रिय वेबसाइट होगी।

(3) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक, वित्तीय उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक बैंकों की तरह शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए एक बैंक होगा, एकेडमिक खाताधारकों के रूप में विद्यार्थियों के साथ, एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक क्रेडिट सत्यापन, क्रेडिट संचय, क्रेडिट हस्तांतरण या मोचन और अकादमिक उपाधियों के प्रमाणीकरण सहित विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा।

(4) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक द्वारा क्रेडिट या शैक्षणिक उपाधियों का प्रमाणीकरण, किसी भी तरह से, डिग्री और अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रदान करने के लिए एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थानों की वैधानिक शक्तियों पर अतिक्रमण के रूप में नहीं माना जाएगा।

(5) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक केंद्र सरकार या आयोग, जैसा सुसंगत हो, द्वारा अधिकृत निकाय के रूप में पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान से विद्यार्थियों द्वारा अर्जित क्रेडिट के प्रमाणीकरण रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए कार्य करेगा ।

(6) किसी भी स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र अथवा पीएचडी कार्यक्रमों हेतु विहित पाठ्यक्रम के लिए वांछित क्रेडिट तथा अध्ययन के आवश्यक घटक पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(7) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक प्रत्येक विद्यार्थी को डिजिटल रूप में अद्वितीय या व्यक्तिगत एकेडमिक बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेगा; और खाताधारक को एक विशिष्ट आईडी और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) उपलब्ध कराई जाएगी।

6. क्रेडिट के एकेडमिक बैंक के कार्य.- (1) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक विद्यार्थी के एकेडमिक बैंक खाते में पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट जमा करेगा; और ऐसे क्रेडिट की वैधता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

बशर्ते कि, एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक सीधे विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम क्रेडिट से संबंधित किसी भी दस्तावेज को स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे दस्तावेजों को तभी मान्य मानेगा जब उन्हें क्रेडिट प्रदान करने वाले संबंधित पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रेषित किया जाय।

(2) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक इन विनियमों के तहत, हितग्राहियों के बीच अपनी भूमिका को बढ़ावा देने के अलावा, उच्चतर शिक्षा संस्थान को पंजीकृत करेगा, शैक्षणिक बैंक खातों के खोलने, समापन और सत्यापन को सुनिश्चित करेगा; और विद्यार्थियों के लिए क्रेडिट सत्यापन, क्रेडिट संचय, और क्रेडिट हस्तांतरण या मोचन भी सुनिश्चित करेगा।

(3) राष्ट्रीय योजनाओं जैसे 'स्वयं', एनपीटीईएल, वी-लैब आदि या किसी निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन मोड के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा किए गए पाठ्यक्रमों को भी क्रेडिट हस्तांतरण और क्रेडिट संचय के लिए मान्य किया जाएगा।

(4) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के कार्य दूरस्थ या गैर-संपर्क माध्यम तक सीमित नहीं हैं; बल्कि यह विभिन्न मौजूदा और भविष्य-संगत शिक्षण अधिगम मॉडलों के समामेलन तक विस्तारित होगा; तथा यह 'सिद्धांत' या 'प्रयोगिक' मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त क्रेडिट्स को भी मान्य कर सकता है, यदि उन्हें प्रथक क्रेडिट पाठ्यक्रम के रूप संचालित किया गया है।

(5) पाठ्यक्रम सामग्री, पाठ्यक्रम लेनदेन, प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकियों, उनके समय, निरंतर मूल्यांकन विधियों, उपस्थिति और मूल्यांकन के नए तरीकों के संबंध में मानदंड पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा

तय किए जाएंगे, और व्यापक नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के तहत समग्र, बहु-विषयक शिक्षा का दर्शन के अनुरूप होंगे।

(6) विद्यार्थियों के हित में, एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के पास अर्जित और जमा किए गए क्रेडिट, डिग्री या डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के लिए मोचन हेतु क्रेडिट प्रदान करने वाले और क्रेडिट स्वीकृत करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा निर्दिष्ट अलग-अलग समयावधि के लिए अधिकतम सात साल की समय सीमा तक वैध होंगे।

(7) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के दायरे में आने वाले सभी उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को शामिल करेगा; यद्यपि अन्य विधाओं के व्यावसायिक कार्यक्रमों के अध्ययन के संबंध में में क्रेडिट्स को उपयुक्त व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय और केंद्र सरकार के अनुमोदन से शामिल किया जा सकता है।

(8) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक उन विद्यार्थियों के लिए क्रेडिट मान्यता और क्रेडिट रिडेम्पशन प्रक्रिया की सुविधा भी प्रदान करेगा, जो अपनी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार सभी ऐसे पाठ्यक्रमों को चुन सकते हैं जो किसी विशेष विषय क्षेत्र में न आते हों किन्तु एक पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाली स्नातक डिग्री के लिए कुल क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करते हैं; और उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी स्नातक डिग्री आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

(9) पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान में विशिष्ट उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विद्यार्थी द्वारा अपनी रुचि आधारित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम से परे अपनी पसंद के इस तरह के डिग्री कार्यक्रम के लिए भी स्वतंत्रता होगी, और उनके क्रेडिट्स संबंधित शैक्षणिक बैंक खाते में अर्जित होंगे।

पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान निर्धारित शैक्षणिक कार्यक्रम से परे विद्यार्थियों द्वारा किए गए पाठ्यक्रमों के संबंध में अर्जित क्रेडिट के सापेक्ष डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते हैं।

(10) व्यावसायिक डिग्री या डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र कार्यक्रम संचालित कर रहे पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान से 'कौशल-पाठ्यक्रम' के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए क्रेडिट्स भी एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के माध्यम से क्रेडिट के संग्रहण और मोचन के लिए पात्र हैं।

(11) शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के दौरान या उसके उपरांत पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान में 'पाठ्यक्रम' से प्राप्त क्रेडिट ही एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट संग्रहण और क्रेडिट रिडेम्पशन के लिए पात्र हैं।

(12) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आयोग एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक को ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

7. एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ पंजीकरण करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान के अनुमोदन के लिए पात्रता मानदंड.- (1) विनियम 1 के उप-विनियम (2) को संतुष्ट करने वाले विश्वविद्यालय और स्वायत्त महाविद्यालय जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा 'ए' ग्रेड स्तर से अथवा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा न्यूनतम 675 अंकों के साथ कम से कम तीन कार्यक्रमों के लिए प्रत्यायित हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध प्रत्यायन एजेंसी से समरूप प्रत्यायन या ग्रेड या प्राप्तांक प्राप्त हो। तथापि यदि संस्थान द्वारा संचालित कार्यक्रमों की संख्या तीन से कम हो तो प्रत्येक कार्यक्रम में 675 अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त हों या राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्थापित किए जाने वाले समतुल्य मूल्यांकन और प्रत्यायन निकाय द्वारा शीर्ष 100 रैंक किए गए संस्थान, या वह उच्च शिक्षण संस्थान जो क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) या टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) द्वारा विश्व रैंकिंग के शीर्ष 1000 में शुमार हों; श्रेष्ठ संस्थान; भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ पंजीकरण के लिए पात्र हैं।

(2) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ पंजीकरण के समय प्रत्यायन या रैंकिंग की स्थिति मान्य होनी चाहिए।

(3) उच्चतर शिक्षा संस्थान को एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए अपने संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों जैसे शासी या कार्यकारी परिषद या सिंडिकेट या प्रबंधन बोर्ड या अकादमिक परिषद आदि से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(4) पूर्ण डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के अलावा पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विद्यार्थियों को एकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश देना होगा:

बशर्ते, किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्थान के पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में अतिसंकुलता से बचने के लिए, ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान को ऐसे पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में अतिरिक्त सीटें रखने की अनुमति होगी, जो उपयुक्त व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय द्वारा पूर्वानुमोदन के अधीन होगी।

बशर्ते कि, ऐसे पाठ्यक्रमों के संबंध में, जो किसी व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय के दायरे में नहीं आते हैं, पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान, आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के अधीन, अपने सांविधिक अथॉरिटी के अनुमोदन से अतिरिक्त सीटों का सृजन कर सकता है।

बशर्ते यह भी कि, पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान विशेष रूप से एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक योजना के उद्देश्य के लिए 'पाठ्यक्रम' का एक सेट भी संचालित कर सकते हैं।

(5) पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास ऑडियो-विजुअल सुविधाओं, ई-संसाधनों, वर्चुअल कक्षाओं और स्टूडियो आदि के संदर्भ में उपयुक्त शैक्षिक बुनियादी ढांचा होगा, और विशेष रूप से ओडीएल या ऑन-लाइन पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए उच्च बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं रूबरू सिद्धांत या व्यावहारिक या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु प्रासंगिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों औरया या विधियों या उच्चतर शिक्षा संस्थान के अध्यादेशों के तहत समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य बुनियादी सुविधाएं होंगी ।

(6) एक पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास अपनी वेबसाइट पर एक वेबपेज होगा जिसमें एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक की सुविधा का विवरण, सभी पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान की सूची, विद्यार्थियों को सुविधा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए दिशा-निर्देश या मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी), एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक की वेबसाइट के लिंक के साथ उपलब्ध होगा।

8. एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक कार्यान्वयन पद्धति.- (1) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक अनिवार्य रूप से एक क्रेडिट-आधारित, और अत्यधिक लचीली, विद्यार्थी-केंद्रित सुविधा है।

(2) पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान, अपने सांविधिक अथॉरिटी के अनुमोदन से, अन्य बातों के साथ-साथ, पाठ्यक्रम पंजीकरण, पाठ्यक्रम अर्हताओं, अंतर-विषयक एवं बहु-विषयक पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकृति, ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए दिए जाने वाले क्रेडिट, क्रेडिट अंतरण और अन्य अनुमोदित उच्चतर शिक्षा संस्थानों से क्रेडिट स्वीकृति और दिए जाने वाले ग्रेड की प्रकृति आदि से संबंधित मौजूदा अध्यादेशों में संशोधन करेंगे।

(3) पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान विद्यार्थियों को एक या अधिक पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थानो द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में से विद्यार्थी द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों का उपयोग करके अपनी खुद की डिग्री को अनुकूलित या डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम करेंगे।

बशर्ते, विद्यार्थी को डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान से क्रेडिट का कम से कम पचास प्रतिशत अर्जित करना आवश्यक होगा।

बशर्ते कि, विद्यार्थी को डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवश्यक कोर विषय क्षेत्र में आवश्यक संख्या में क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि डिग्री प्रदान करने वाली उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें विद्यार्थी नामांकित है।

(4) उपविनियम (3) में प्रदान की गई एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक की सुविधा के तहत लचीलेपन का लाभ उठाने वाले विद्यार्थी न कि पूरे 'अध्ययन-कार्यक्रम' के लिए, जिसके कारण पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा डिग्री प्रदान की जाती है, वरन अपनी पसंद और अभिवृत्ति के अनुसार केवल एकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के भी हकदार हैं ताकि उन्हें क्रेडिट संग्रहण सुलभ हो सके।

(5) एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक विनियम 7 के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों की एक परिवर्तनशील ऑनलाइन निर्देशिका बनाए रखेगा।

(6) क्रेडिट परिभाषा, क्रेडिट संचय, क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट रिडेम्पशन के संदर्भ में एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक की सेवाओं के उपयोग के विवरण के संबंध में प्रत्येक पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ एकेडमिक बैंक खाता खोलने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों को विद्यार्थी परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करेगा; साथ ही विद्यार्थियों के एकेडमिक बैंक खाते खोलने, बंद करने और वैधीकरण के संबंध में सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करेगा जहां ऐसे अनुरोधों की सिफारिश एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ पहले से ही पंजीकृत मूल विश्वविद्यालय या स्वायत्त महाविद्यालयो के माध्यम से की जाती हैं।

(7) विद्यार्थियों द्वारा अर्जित क्रेडिट्स को एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ संबंधित एकेडमिक बैंक खाते में जमा किया जाएगा और किसी भी डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए क्रेडिट्स के कम्यूटेशन के उद्देश्य से क्रेडिट प्रदान करने वाले संस्थानों द्वारा निर्दिष्ट और शैक्षणिक योग्यता प्रदान करने वाले पंजीकृत उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा इसकी स्वीकृति के अनुरूप अधिकतम सात वर्षों के लिए मान्य होंगे।

उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता को प्रदान करने के लिए किसी भी क्रेडिट को भुनाए जाने के बाद, ऐसे क्रेडिट को संबंधित विद्यार्थी के एकेडमिक बैंक खाते से अपरिवर्तनीय रूप से डेबिट कर दिया जाएगा।

(8) जहां कोई विद्यार्थी निर्दिष्ट डिग्रीया डिप्लोमा या परास्नातक डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने हेतु पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा अनुमोदित क्रेडिट की कुल संख्या और क्रेडिट की प्रकृति की पर्याप्तता के मानदंडों को पूरा करता है, तो विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा इस तरह की उपाधि के लिए पात्र होगा।

(9) एक बार उपयोग या भुनाने के बाद, किसी विद्यार्थी द्वारा अर्जित क्रेडिट को किसी अन्य औपचारिक शैक्षणिक योग्यता को प्राप्त करने के लिए पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(10) सांविधिक प्राधिकरणों के अनुमोदन से, एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक द्वारा एक पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान को उसके द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की संरचना बहु-विषयक या अंतर-विषयक उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मूल पाठ्यक्रम या मूल ऐच्छिक या मुक्त ऐच्छिक या कौशल वृद्धि ऐच्छिक या क्षमता वृद्धि ऐच्छिक आदि के रूप में उचित क्रेडिट आवश्यकताओं के साथ विभाजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(11) शैक्षणिक योग्यता आदि प्रदान करने में, पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान आयोग या व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित क्रेडिट्स की संख्या और समयावधि के संबंध में सुसंगत मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

बशर्ते कि, समय अवधि के संबंध में, एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक सुविधा के तहत शैक्षणिक योग्यता पाने वाले विद्यार्थी, निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने के बाद, अधिकतम एक सेमेस्टर की छूट का लाभ उठा सकते है, जबकि पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की अवधि दो साल या अधिक (चार सेमेस्टर या अधिक) की हो।

(12) एक पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने पाठ्यक्रम शुल्क को उस पाठ्यक्रम के क्रेडिट की संख्या के आधार पर निर्धारित कर सकता है जिसके लिए विद्यार्थी नामांकित है।

(13) उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा इन विनियमों के अधीन पात्र संस्थानों के रूप में एक पंजीकरण शुल्क देय होगा, जो केंद्र सरकार या आयोग, जैसा भी मामला हो, की पूर्व-स्वीकृति से निर्धारित किया जाएगा।

9. विश्वविद्यालयों और एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक द्वारा निगरानी, सहयोग और गुणवत्ता आश्वासन.- (1) यह पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान की जिम्मेदारी होगी कि वे विश्वविद्यालय स्तर पर और उनके संबद्ध स्वायत्त महाविद्यालयों के स्तर पर एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक कार्यक्रम के परिवर्धन व परिचालन की निगरानी करें।

(2) पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक सुविधा के कामकाज की गुणवत्ता में सुधार के लिए और एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के सहयोग से समग्र या बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा हेतु शिक्षक या कर्मचारी प्रशिक्षण, परामर्श, शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखा परीक्षा और अन्य साधन प्रस्तुत करेंगे और जो कि संकाय विकास कार्यक्रम

या गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम या व्यावसायिक विकास कार्यक्रम या प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के रूप में हो सकता है।

(3) पंजीकृत विश्वविद्यालययया स्वायत्त महाविद्यालय के स्तर पर एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के कार्यान्वयन का गुणवत्ता आश्वासन संबंधित विश्वविद्यालय या स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा या तो आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) या पंजीकृत उच्चत्तर शिक्षा संस्थान द्वारा विनिश्चित किसी अन्य उपयुक्त संरचित तंत्र के माध्यम से विकसित किया जा सकता है।

(4) प्रत्येक पंजीकृत उच्चत्तर शिक्षा संस्थान अपनी वेबसाइट पर एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के संगत में अपनी गतिविधियों के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ ही गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता संपोषण और गुणवत्ता उननयन के लिए किए गए उपायों का विवरण अपलोड करेगा।

(5) विद्यार्थियों की शिकायतोंया अपीलों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के स्तर पर और एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के साथ पंजीकृत प्रत्येक एचईआई के स्तर पर एक 'एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक-परिवेदना निवारण तंत्र' होगा।.

10. **उल्लंघन के परिणाम.-** यदि कोई पंजीकृत उच्चत्तर शिक्षा संस्थान इन विनियमों के तहत निर्धारित शर्तों या आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो आयोग, सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान करने के बाद, आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर कमी को ठीक करने के लिए संस्थान को निर्देश दे सकता है; और ऐसा करने में उच्चत्तर शिक्षा संस्थान की ओर से विफल रहने पर, एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक से ऐसे संस्थान का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा; और, इसके अतिरिक्त, अधिनियम के तहत अनुदान प्रदान करना बंद कर दिया जाएगा, जहां ऐसे अनुदान संस्था के लिए अनुदेय हैं।

11. **व्याख्या.-** इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में किसी भी प्रश्न पर निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिया जाएगा, और उसका निर्णय इस मामले में अंतिम और बाध्यकारी होगा।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

[विज्ञापन-III/4/असा./167/2021-22]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2021

F. No. 14-31/2018 (CPP-II).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-Section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title, Application and Commencement.-** (1) These Regulations may be called the University Grants Commission (Establishment and Operation of Academic Bank Of Credits in Higher Education) Regulations, 2021.

(2) These Regulations shall apply to all Universities in India established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act; the institutions Deemed-to be Universities declared as such under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956); and the Autonomous Colleges as defined in these regulations.

(3)They shall come into force from the date of their notification in the Gazette of India.

2. **Definitions.-** In these Regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);

(b) "Academic Bank Account" means an individual account with the Academic Bank of Credits opened and operated by a student, to which all academic credits earned by the Student from course(s) of study are deposited, recognised, maintained, accumulated, transferred, validated or redeemed for the purposes of the award of degree/diploma/certificates etc. by an awarding institution;

(c) "Academic Bank of Credits" means an academic service mechanism as a digital or virtual or online entity established by the Commission with the approval of the Central Government, to facilitate students to become its academic account holders, thereby paving the way for seamless student mobility between or within degree-granting Higher Educational Institutions through a formal system of credit recognition, credit accumulation, credit transfers and credit redemption to promote distributed and flexible teaching-learning;

(d) "Academic Flexibility" means the provision for innovative and interchangeable curricular structures to enable creative combinations of Courses or Programmes in Disciplines of study leading to Degree or Diploma or Post Graduate Diploma or Certificate of Study offering multiple entry and multiple exit facilities, while removing rigid curricular boundaries and creating new possibilities of life-long learning;

(d) "Autonomous college" means any institution, whether known as such or by any other name, accorded with autonomous status by the Commission upon the recommendations of the affiliating university and the State Government concerned, by virtue of which it provides for a course or programme of study with academic and innovative flexibility for obtaining any qualification from a university; and which, in accordance with the Statutes and Ordinances of such university, is recognised as competent to provide for such course or programme of study and present students undergoing such course or programme of study for the examination leading to the award of such qualification;

(f) "Commission" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Act;

(g) "Course" means one of the specified units which go to comprise a specified programme of study;

(h) "Credit" means the standard methodology of calculating one hour of theory or one hour of tutorial or two hours of laboratory work, per week for a duration of a semester (13-15 weeks) resulting in the award of one credit; which is awarded by a higher educational institution on which these regulations apply; and, Credits' for internship shall be one credit per one week of internship, subject to a maximum of six credits;

(i) "Credit-accumulation" means the facility created by Academic Bank of Credits in the Academic Bank Account opened by students in order to transfer and consolidate the credits earned by them by undergoing Courses;

(j) "Credits-recognition" means the credits earned through a registered Higher Educational Institution and transferred directly to the Academic Bank of Credits by such Higher Educational Institution;

(k) "Credit-redemption" means the process of commuting the accrued credits in the Academic Bank Account of the students maintained in ABC for the purpose of fulfilling the credits requirements for the award of Degrees or Diplomas or Certificates or Course work for Ph.D. programme etc., by the registered degree-awarding Higher Educational Institutions;

(l) "Credit-transfer" means the mechanism by which the Registered Higher Educational Institutions are able to receive or provide prescribed credits to individual Academic Bank Accounts in

adherence to the University Grants Commission credit norms for the 'course/s' undertaken by students enrolled in any Registered Higher Education Institution within India;

(m) "Higher Education Institutions" means the institutions which are empowered to award degrees by themselves or in accordance with section 22 of the Act;

(n) "Professional Standards Setting Body" means a regulatory or principal body created, established or constituted under an Act of Parliament for determining and maintaining standards in the relevant areas of higher education;

(o) "Programme" or "Programme of study" means a higher education programme pursued for a degree specified by the Commission under sub -section (3) of section 22 of the Act;

(p) "Registered Higher Education Institution" means an eligible Higher Educational Institution which is registered by the Academic Bank of Credits, under these regulations;

(q) "Statutory authority" means statutory bodies of higher educational institutions, such as the Governing Council or Executive Council or Syndicate or Board of Management or Academic Council, competent to take decisions on behalf of the institution.

(r) "Student" means a person admitted to, and pursuing, a specified credit-based course/programme of study in a higher education institution.

3. Academic Bank of Credits.- (1) Academic Bank of Credits, shall be a national-level facility to promote flexibility of curriculum framework and interdisciplinary or multidisciplinary academic mobility of students across Higher Education Institutions in the country with appropriate credit transfer mechanism created through these regulations and shall facilitate students to choose their own learning path to attain a Degree or Diploma or Post Graduate diploma or academic qualification, working on the principle of multiple entry-multiple exit as well as any-time, any-where, and any-level learning.

(2) Academic Bank of Credits shall enable the integration of multiple disciplines of higher learning, leading to the desired learning outcomes including enhanced creativity, innovation, higher order thinking and critical analysis.

(3) Academic Bank of Credits shall provide significant autonomy to students by providing extensive choice of courses for a programme of study, flexibility in curriculum, novel and engaging course options across a number of higher education disciplines or institutions.

4. Objectives of Academic Bank of Credits.-(1)To promote student centricity with learner-friendly approaches in higher education across the country and promote a more inter-disciplinary approach in higher education.

(2) To enable students to select the best courses or combination of courses to suit their aptitude and quest for knowledge.

(3) To permit students to choose a pace for their studies along with the associated logistics and costs.

(4) To allow students to tailor their degrees or make specific modifications or specialisations rather than undergoing the rigid, regularly prescribed degree or courses of a single university or autonomous college.

(5) To enable multiple entry-multiple exit for students to complete their degrees as per their time preferences, providing mobility across various disciplines and HEIs for Degree or Diploma or Post Graduate Diploma or Certificate programme or Course work for the Ph.D. programme.

(6) To support, procedurally, the teaching-learning activities to happen in a distributed and blended manner through integration across campuses or universities or autonomous colleges with increased mobility.

(7) To facilitate lifelong learning amongst all, i.e., formal and informal students from both full-time and part-time modes.

(8) To satisfy the students' quest for knowledge, freedom to choose and change their academic directions, connect different domains of knowledge and help them acquire the right foundations and building blocks to pursue their life goals.

5. Organisational Structure of Academic Bank of Credits.- (1)Academic Bank of Credits shall be a digital or virtual or online store-house entity of academic credit data base of Higher Education Institution with students as its stakeholder.

(2) Academic Bank of Credits shall be established, on the lines of the National Academic Depository shall have a dynamic website providing all details of Academic Bank of Credits and its operational mechanism for the use of all stakeholder of higher education.

(3) Academic Bank of Credits shall be a bank for academic purposes, on the pattern of commercial banks for financial purposes, with students as academic account holders to whom, the Academic Bank of Credits shall provide a variety of services including credit verification, credit accumulation, credit transfer or redemption and authentication of academic awards.

(4) Authentication of credits or academic awards by Academic Bank of Credits shall not, in any way, be construed as encroachment on the statutory powers of Higher Education Institutions registered with Academic Bank of Credits to award degrees and other academic qualifications.

(5) ABC shall act as the body empowered by the Central Government or the Commission, as the case may be, to provide authenticated records of credits earned by students from Registered Higher Education Institutions.

(6) The requirement of credits as well as essential components of study for award of any Under Graduate or Post Graduate or diploma or certificate, or the Course work requirements for the Ph.D. programmes shall be as prescribed by Registered HEIs.

(7) Academic Bank of Credits shall provide to every student the facility to open unique or individual Academic Bank Account in digital form; and the account holder shall be provided with a unique ID and access to the Standard Operating Procedure (SOP).

6. Functions of Academic Bank of Credits. -(1) Academic Bank of Credits shall deposit Credits awarded by Registered Higher Education Institutions, for Courses pursued therein, in the Academic Bank Account of the student and the validity of such credits shall be as per norms and guidelines issued by the Commission from time to time:

Provided that ABC shall not accept any document pertaining to course credits directly from students and shall entertain such documents as valid only when the same are transmitted by the respective, Registered Higher Education Institution awarding the credits.

(2) ABC shall register Higher Education Institutions under these regulations, ensure the opening, closure and validation of Academic Bank Accounts and shall also ensure credit verification, credit accumulation, and credit transfer or redemption for students; apart from promoting its role among stakeholder.

(3) Courses undergone by the students through the online modes through National Schemes like SWAYAM, NPTEL, V-Lab etc. or of any specified university, shall also be considered for credit transfer and credit accumulation.

(4) The functions of ABC are not limited to distance or a non-contact mode; and shall extend to amalgamation of various existing and futuristic teaching-learning models and it may also consider

credits obtained by students in assessments for theory or practicals, if the same are offered as separate credit courses.

(5) The norms in respect to the curriculum content, curriculum transaction, educational technologies for the courses offered, their timing, continuous evaluation methods, attendance and novel methods of assessment shall be as decided by the Registered Higher Education Institution, and shall be consistent with the overarching policy and philosophy of holistic, multidisciplinary education under National Education Policy-2020.

(6) In the interests of students, credits earned and deposited with ABC shall be valid for the purpose of redemption to a degree or diploma or Post Graduate diploma or certificate, for varying duration as specified by the credit awarding and credit accepting Higher Education Institution subject to a maximum duration of seven years.

(7) Academic Bank of Credits shall encompass all higher education programmes coming under the purview of the Commission, the All India Council of Technical Education, and the National Council of Teacher Education; credits in professional programmes of study in respect of other disciplines may be included with the approval of the appropriate professional standards setting body and the Central Government.

(8) Academic Bank of Credits shall also facilitate the credit recognition and credit redemption process for students who may opt, according to their individual choice, for all courses, not falling in any particular subject domain, but fulfilling the total credits requirement for the Under Graduate degree to be awarded by a Registered Higher Education Institution and such Under Graduate degree to be awarded by the Higher Education Institution may be specified by the Commission.

(9) In addition to the choice based courses to be undertaken by the student as a part of the specific higher education programme in Registered Higher Education Institutions, students shall also have freedom to take additional courses of their aptitude, beyond the curriculum prescribed for such degree programme, and accrue credits in their respective Academic Bank Account:

Provided that Registered Higher Education Institutions may award diploma or certificate against credits accrued in respect of courses undertaken by students beyond the prescribed curriculum.

(10) Credits obtained by students by undergoing Skill-courses from Registered Higher Education Institutions offering vocational Degree or Diploma or Post Graduate Diploma or Certificate programmes are also eligible for accrual and redemption of credits through the Academic Bank of Credits.

(11) Credits obtained by undertaking Courses in Registered HEIs during or after the academic year 2021-2022 alone are eligible for Credit transfer, Credit accrual and Credit redemption through Academic Bank of Credits.

(12) For carrying out the purposes of the Academic Bank of Credits, the Commission may provide such financial and administrative assistance to the Academic Bank of Credits, as it may deem fit.

7. **Eligibility Criteria for approval of HEIs to register with Academic Bank of Credits.-**(1) Universities and Autonomous Colleges satisfying sub-regulation (2) of regulation 1, which are accredited by either National Assessment and Accreditation Council with minimum 'A' Grade or by National Board of Accreditation for at least three programme(s) with a minimum score of 675 individually (however, if the number of programme(s) being run by the Institution is less than three, then each of the programmes should secure 675 or more marks); or top 100 National Institutional Ranking Framework (NIRF) or similar Assessment and Accreditation body(ies) to be established by Government of India from time to time or those Indian Higher Education Institutions appearing in top 1000 world ranking of Quacquarelli Symonds (QS)/ Times Higher

Education (THE); Institutions of Eminence or Institutions of National Importance as declared by Government of India are eligible to register with Academic Bank of Credits.

(2) Accreditation or ranking status must be valid at the time of registration with Academic Bank of Credits.

(3) HEIs shall obtain approval from their respective statutory authorities such as the Governing or Executive Council or Syndicate or Board of Management or Academic Council etc., to apply for registration with Academic Bank of Credits.

(4) Registered Higher Education Institutions shall be required to admit students to individual courses, in addition to their admissions to full degree programmes:

Provided that in order to avoid overcrowding in a course(s) of any Higher Education Institution, such Higher Education Institution shall be permitted to have additional (supernumerary) seats in such course(s), subject to prior approval by the appropriate professional standards setting body:

Provided further that in respect of courses, not coming under the purview of any professional standards setting body the Registered Higher Education Institution may, subject to availability of required infrastructure, create supernumerary seats with the approval of its statutory authorities:

Provided also that, Registered Higher Education Institution may also offer a set of Courses, exclusively for the purpose of the Academic Bank of Credits Scheme.

(5) Registered Higher Education Institution shall have the appropriate educational infrastructure in terms of audio-visual facilities, e-resources, Virtual classrooms and studios etc., and specifically high bandwidth internet connectivity to support ODL or On-line courses or programmes and other infrastructural facilities for face to face theory or practical/ or training courses as specified, from time to time, under the relevant University Grants Commission Regulations and/or Statutes or Ordinances of the Higher Education Institution.

(6) A Registered Higher Education Institution shall have a webpage on its website containing details of the facility of Academic Bank of Credits, list of all Registered Higher Education Institutions, guidelines or Standard Operating Procedures for the students to utilise the facility effectively, along with a link to the website of Academic Bank of Credits.

8. Academic Bank of Credits Implementation methodology. - (1)Academic Bank of Credits is essentially a credit-based, and highly flexible, student-centric facility.

(2) Registered Higher Education Institutions shall, with the approval of their statutory authorities, amend the extant Ordinances relating to, inter alia, Course registration, Course requirements, acceptance for inter-disciplinary and multi-disciplinary courses, Credits to be offered to such courses, Credit transfers and Credits acceptance from other approved Higher Education Institutions, nature of grades to be awarded etc.

(3) Registered Higher Education Institutions shall encourage and enable students to customise or design their own degrees utilising Courses selected by the student from among courses offered by one or more of the Registered Higher Education Institutions:

Provided that, the student shall be required to earn at least fifty per cent of the credits from the Higher Education Institution awarding the degree or diploma or certificate:

Provided further that, the student shall be required to earn the required number of credits in the core subject area necessary for the award of the degree or Diploma or Certificate, as specified by the degree awarding Higher Education Institution, in which the student is enrolled.

(4) Students availing flexibility under the facility of ABC provided in sub-regulation (3) are entitled to subscribe only to Courses of their choice and aptitude, so as to enable them to accumulate credits and not to the entire Programme of study leading to the award of a degree by the Registered Higher Education Institution.

(5) The ABC shall maintain a dynamic online directory of Higher Education Institutions which satisfy the eligibility criteria stipulated under regulation 7.

(6) Every Registered Higher Education Institution shall provide student counselling and guidance to all students desirous of opening an Academic Bank Account with Academic Bank of Credits, in regard to the details of utilisation of the services of Academic Bank of Credits in terms of Credit definition, Credit accumulation, Credit transfer, Credit redemption as well as in respect of the opening, closure and validation of Academic Bank Accounts of students where such requests are recommended through the parent University or Autonomous colleges which are already registered with Academic Bank of Credits.

(7) Credits earned by students shall be deposited in the respective Academic Bank Account with ABC and shall be valid for not exceeding seven years as specified by the credit awarding institutions and subject to its acceptance by the Registered Higher Education Institution awarding academic qualifications, for the purpose of commutation of credits for the award of any Degree or Diploma or Certificate:

Provided that once any credit is redeemed for the award of the aforementioned academic qualification, such credit shall be irrevocably debited from the respective student's Academic Bank Account.

(8) Where a student fulfils the norms of sufficiency of total number of credits and of the nature of credits, approved by a Registered Higher Education Institution for the award of the specified Degree or Diploma or Post Graduate Diploma or Certificate, the student shall be eligible for such award by that Higher Education Institution.

(9) Once used, or redeemed, Credits earned by a student cannot be re-used for the award of any other formal academic qualifications.

(10) With the approval of its statutory authorities, a Registered Higher Education Institution shall be encouraged by Academic Bank of Credits to apportion the structure of courses offered by it as core courses or core electives or open electives or skill enhancement electives or ability enhancement electives etc. with appropriate credit requirements, in order to promote multi-disciplinary or inter-disciplinary higher education.

(11) In awarding academic qualifications etc., Registered Higher Education Institutions shall follow the norms and guidelines, in regard to the number of credits and duration of time, stipulated from time to time by the Commission or the professional standards setting body, as the case may be:

Provided that in respect of time duration, a student pursuing academic qualifications under the Academic Bank of Credits facility may, after earning the stipulated credits, avail a relaxation of a maximum of one semester, provided the duration of the course or programme is of two-years or more (Four semesters or more).

(12) A Registered Higher Education Institution may fix its Course fee based on the number of credits of a course for which the student is enrolled.

(13) The Higher Education Institution shall pay a fee for registration as an eligible institution under these regulations, which shall be determined with the prior approval of the Central Government or the Commission, as the case may be.

9. Monitoring, support and Quality assurance by Universities and ABC.- (1) It shall be the responsibility of Registered Higher Education Institutions, to monitor the development and operationalisation of the Academic Bank of Credits programme at the university level and at the level of their affiliated autonomous colleges.

(2) Registered Higher Education Institutions shall offer teacher or staff training, mentoring, academic and administrative audit and other measures for improving the quality of performance of the Academic Bank of Credits facility and promotion of holistic/multidisciplinary education with the support of Academic Bank of Credits, which may be in the form of Faculty Development Programmes or Quality Improvement Programmes or Professional Development Programmes or Technology Inculcation Programmes.

(3) The Quality assurance of the implementation of Academic Bank of Credits at the level of the registered university or autonomous college shall be developed by the University or autonomous college concerned either through the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) or any other appropriate structured mechanism as may be decided by the Registered Higher Education Institution.

(4) Every Registered Higher Education shall upload, annually, on its website, a report of its activities *vis a vis* the Academic Bank of Credits, as well as of measures taken by it for Quality assurance, Quality sustenance and Quality enhancement.

(5) There shall be an Academic Bank of Credits-Grievance Redressal Mechanism at the level of Central Government/University Grants Commission/Academic Bank of Credits, and at the level of every Higher Education Institution registered with Academic Bank of Credits to address the grievance/appeals of students.

10. Consequences of violation.- Where a Registered Higher Education Institution fails to fulfil the conditions or requirements prescribed under these regulations, the Commission may, after providing a reasonable opportunity of being heard, direct the institution to rectify the deficiency within such period of time as may be stipulated by the Commission and on failure on the part of the Higher Education Institution to do so, terminate the registration of such institution from Academic Bank of Credits and, in addition, cease to provide grants under the Act, where such grants are admissible to the institution.

11. Interpretation.- Any question as to the interpretation of these Regulations shall be decided by the Commission, and its decision shall be final and binding in the matter.

Prof. RAJNISH JAIN, Secy., UGC

[ADVT.-III/4/Exty./167/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.29 00:35:32 +05'30'

ANNEXURE-3

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052022-235497
CG-DL-E-02052022-235497

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233] नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2022/वैशाख 12, 1944
No. 233] NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2022/VAISAKHA 12, 1944

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2022

फा. सं. 4-1/2022(IC).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उप-धारा (1) की खंड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 11.07.2016 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय और विदेशी शैक्षिक संस्थानों के मध्य अकादमिक सहयोग के मानकों की प्रोन्नति एवं अनुरक्षण) विनियम, 2016 का अधिक्रमण करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: -

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रवर्तन:-

1.1. इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग) विनियम, 2022 (इसके पश्चात् विनियमों कहा जाएगा) कहा जाएगा।

1.2. ये विनियम युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग के लिए न्यूनतम मानकों का निर्धारण करते हैं।

1.3. ये विनियम निम्न पर पर लागू होंगे-

1.3.1. उपाधि(यां) प्रदान करने के लिए विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग करने के इच्छुक भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान; और

1.3.2. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग करने के इच्छुक विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान।

1.4. ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:-

2.1. "अधिनियम" का अभिप्राय, समय-समय पर यथा-संशोधित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 से है;

2.2. "शैक्षिक सहयोग" का अभिप्राय, एक लिखित करार के माध्यम से निम्नवत प्रयोजनार्थ, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान(नों) और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान(नों) के बीच शैक्षिक साझेदारी से है;

2.2.1. युगल उपाधि कार्यक्रम

2.2.2. संयुक्त उपाधि कार्यक्रम;

2.2.3. दोहरी उपाधि कार्यक्रम;

2.3. एक विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान के संबंध में "मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी", का अभिप्राय किसी ऐसी एजेन्सी अथवा निकाय से है जिसे उस संस्थान के संबंधित देश में विधि के तहत स्थापित अथवा निगमित किसी प्राधिकरण अथवा उस देश में किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हो, मान्यता प्रदान की गई हो अथवा जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और मानकों का मूल्यांकन, प्रत्यायन अथवा गुणवत्ता आश्वासन के प्रयोजनार्थ प्रत्यायन निकायों के वैश्विक नेटवर्क का सदस्य हो;

2.4. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान के संबंध में "मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी" का अभिप्राय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसियों की मान्यता एवं सर्वेक्षण) विनियम, 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त एजेंसी से है;

2.5. "आयोग" का अभिप्राय, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;

2.6. "परंपरागत पद्धतियों" का अभिप्राय, एक नियमित कक्षा परिवेश में शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य सम्मुख पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से ज्ञान अर्जन का अवसर उपलब्ध कराए जाने की एक पद्धति से है, जो ऑनलाइन पद्धति के उपयोग के माध्यम से शिक्षार्थी हेतु पूरक शिक्षण, यदि कोई हो तो, को अपवर्जित नहीं करता है;

2.7. "'क्रेडिट' मान्यता और अंतरण" का अभिप्राय, किसी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा स्वयं अथवा किसी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान और अनुलोमत: द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किए गए किसी कार्यक्रम के लिए "'क्रेडिट'" संबंधी अपेक्षाओं हेतु मान्यता प्रदान किए जाने, परिमाणित किए जाने अथवा सम्मिलित किए जाने हेतु किसी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदत्त "'क्रेडिट'" से है;

2.8. "उपाधि" का अभिप्राय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 के उपबंधों के अनुरूप किसी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की गई उपाधि और संबंधित देश के संगत नियमों और विनियमों के अनुसार किसी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की गई उपाधि से है;

2.9. "विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान" का अभिप्राय, विदेश में विधिवत रूप से स्थापित अथवा निगमित अथवा मान्यता प्राप्त किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान से है जो स्नातकपूर्व और/ अथवा उच्चतर स्तरों पर शैक्षिक और अनुसंधान कार्यक्रमों की पेशकश करता है;

2.10. इन विनियमों के प्रयोजनार्थ "फ्रेंचाइजिंग" का अभिप्राय और उसमें, मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान की ओर से अथवा उसके नाम से युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने अथवा संबंधित कार्यकलापों हेतु इन विनियमों के तहत मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अलावा किसी व्यक्ति अथवा संस्थान अथवा संगठन को औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से अनुमति प्रदान करना शामिल है, "फ्रेंचाईज" और "फ्रेंचाइजिंग" वाक्यांश का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;

2.11. "भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान" का अभिप्राय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत किसी विश्वविद्यालय अथवा धारा 3 के तहत किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान से है;

2.12. "कार्यक्रम" का अभिप्राय, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल कार्यक्रमों सहित उपाधि प्रदान करने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों से है;

2.13. "सांविधिक निकाय" का अभिप्राय, विश्वविद्यालयों अथवा पेशेवर कार्यक्रम(मों) सहित अध्ययन कार्यक्रम(मों) में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को विनियमित करने, उनका समन्वय करने, उनका निर्धारित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए केंद्रीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित अथवा निगमित निकाय से है, जिसके परिणामस्वरूप उपाधि(यां) प्राप्त की जाएं;

3. सहयोग संबंधी उपबंध:-

इन विनियमों के अंतर्गत भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग से निम्नलिखित शैक्षिक क्रियाकलाप किए जा सकेंगे: -

3.1. युगल कार्यक्रम

3.1.1. "युगल कार्यक्रम" एक सहयोगात्मक व्यवस्था होगी जिसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों का अनुपालन करते हुए, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान में नामांकित छात्र आंशिक रूप से भारत में तथा आंशिक रूप से विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान में अपना अध्ययन कार्यक्रम कर सकते हैं।

3.1.2. इस प्रकार के युगल कार्यक्रमों के तहत प्रदान की जाने वाली उपाधि केवल भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी।

3.1.3. युगल कार्यक्रम के अंतर्गत, छात्रों द्वारा विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान में अर्जित "क्रेडिट" को भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधि हेतु गिना जाएगा। तथापि, विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान से छात्रों द्वारा अर्जित "क्रेडिट", कार्यक्रम हेतु निर्धारित कुल 'क्रेडिटों' के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

3.1.4. भारतीय छात्रों द्वारा विदेशी संस्थान से अर्जित किए जाने वाले 'क्रेडिट' और भारतीय संस्थानों से विदेशी छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' पारंपरिक पद्धतियों से प्राप्त किए जाएंगे।

3.1.5. प्रत्येक संस्थान अपने संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रतिलेख जारी करेगा, जिसमें यह टिप्पणी होगी कि छात्र ने भागीदार संस्थान में कुछ मॉड्यूल, जहां कहीं लागू हों, किए हैं।

3.1.6. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान से छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' अतिव्यापी पाठ्यक्रम विषयवस्तु/पाठ्यचर्या से नहीं होंगे।

3.1.7. कार्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए यथा लागू, शुल्क (विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों सहित) को प्रवेश के समय सार्वजनिक किया जाएगा। शुल्क ढांचा तर्कसंगत होना चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक समाज के सभी वर्गों की पहुंच हो तथा यह किफायती हो।

3.1.8. इस प्रकार के युगल उपाधि कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली कोई भी उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) के उपबंधों के अनुरूप होनी चाहिए और साथ ही यह संबंधित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा ऐसी उपाधि प्रदान करने के लिए यथा-निर्धारित मानकों, मानदंडों और अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

3.1.9. सहयोगी उच्चतर शिक्षा संस्थान, उन छात्रों के लिए निकास मार्ग की व्यवस्था करेंगे जो छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिटों' की भावी संस्वीकृति के संबंध में स्पष्ट विनिर्देशों के साथ युगल कार्यक्रम को पूर्ण करने में असमर्थ हैं।

3.2. संयुक्त उपाधि कार्यक्रम

3.2.1. "संयुक्त उपाधि कार्यक्रम" के लिए, पाठ्यक्रम को सहयोगी भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा और कार्यक्रम के पूर्ण होने पर, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान और सहयोगी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा एकल प्रमाणपत्र के रूप में उपाधि प्रदान की जाएगी।

3.2.2 पेशकश किया जाने वाला कोई भी संयुक्त उपाधि कार्यक्रम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) में विनिर्दिष्ट उपाधि के नाम और अवधि के अनुरूप होगा और इस प्रकार के उपाधि कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए न्यूनतम पात्रता और अन्य मानदंडों और मानकों के अनुरूप होगा।

3.2.3. छात्रों को प्रत्येक भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से कुल 'क्रेडिट' का कम से कम 30 प्रतिशत अर्जित करना होगा। भारतीय छात्रों द्वारा विदेशी संस्थान से अर्जित किए जाने वाले 'क्रेडिट' और भारतीय संस्थानों से विदेशी छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' पारंपरिक पद्धति के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।

3.2.4.किसी संस्थान में पाठ्यक्रम(मों) के लिए अर्जित 'क्रेडिट' को दोनों संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जाने वाली उपाधियों हेतु गिना जाएगा।

3.2.5. सहयोगी उच्चतर शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' अतिव्यापी पाठ्यक्रम विषयवस्तु/ पाठ्यचर्या से नहीं होंगे; और जिस संस्थान में विद्यार्थी उक्त पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत है उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए छात्र केवल एक परीक्षा देगा और मूल्यांकन प्रणाली से गुजरेगा।

3.2.6. डॉक्टोरल उपाधि कार्यक्रम के मामले में, प्रत्येक संस्थान में छात्रों के लिए शोध पर्यवेक्षक होना चाहिए। अध्ययन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को प्रत्येक सहयोगी संस्थान में कम से कम एक सेमेस्टर बिताना होगा। तथापि, भागीदार संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए ढांचे का अनुपालन करते हुए छात्रों को एक शोध प्रबंध भी जमा करना होगा।

3.2.7. कार्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए यथा लागू, शुल्क (विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों सहित) को प्रवेश के समय सार्वजनिक किया जाएगा। शुल्क ढांचा तर्कसंगत होना चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक समाज के सभी वर्गों की पहुंच हो तथा यह किफायती हो।

3.2.8 प्रत्येक संस्थान अपने संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रतिलेख जारी करेगा, जिसमें यह टिप्पणी होगी कि छात्र ने भागीदार संस्थान में कुछ मॉड्यूल, जहां कहीं लागू हों, किए हैं।

3.2.9. सहयोगी उच्चतर शिक्षा संस्थान, उन छात्रों के लिए निकास मार्ग की व्यवस्था करेंगे जो छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिटों' की भावी संस्वीकृति के संबंध में स्पष्ट विनिर्देशों के साथ युगल कार्यक्रम को पूर्ण करने में असमर्थ हैं।

3.2.10. संयुक्त उपाधि कार्यक्रम की पेशकश से संबंधित अन्य सभी उपबंध भागीदार संस्थानों द्वारा आपस में निर्धारित किए जाएंगे जोकि संबंधित संस्थान और देश के संबंधित नियमों, विनियमों और विधियों के अनुरूप होंगे।

3.3. दोहरी उपाधि कार्यक्रम

3.3.1. "दोहरी उपाधि कार्यक्रम" भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा समान विधा/ विषय क्षेत्रों तथा उसी स्तर पर संयुक्त रूप से तैयार और पेशकश किए जाएंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए उपाधियां, भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा दोनों संस्थानों की उपाधि संबंधी अपेक्षाओं पर खरा उतरने पर अलग-अलग और एक ही समय, प्रदान की जाएंगी। इसे किसी भी प्रकार से पृथक विधाओं/ विषय क्षेत्रों और/ अथवा स्तरों पर एक साथ किए जा रहे दो उपाधि कार्यक्रम नहीं माना जाएगा।

3.3.2. दोहरी उपाधि कार्यक्रम के अंतर्गत, किसी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा पेशकश की जाने वाली उपाधि, वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) में विनिर्दिष्ट उपाधि के नाम और अवधि के अनुरूप होनी चाहिए और इस प्रकार की उपाधि कार्यक्रम की पेशकश करने हेतु न्यूनतम पात्रता और अन्य मानदंड और मानकों के अनुरूप भी होनी चाहिए।

3.3.3. भावी छात्रों को भारतीय और विदेशी, दोनों उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रवेश संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करना होगा और उसे दोनों संस्थानों में अलग-अलग आवेदन करना होगा और दोनों संस्थानों में अलग-अलग प्रवेश प्राप्त करना होगा।

3.3.4. छात्रों को भारतीय संस्थान से कुल 'क्रेडिट' का कम से कम 30 प्रतिशत अर्जित करना होगा। भारतीय छात्रों द्वारा विदेशी संस्थान से अर्जित किए जाने वाले 'क्रेडिट' और भारतीय संस्थानों से विदेशी छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' पारंपरिक पद्धति के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।

3.3.5 किसी संस्थान में पाठ्यक्रम(मों) के लिए अर्जित 'क्रेडिट' को दोनों संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों हेतु गिना जाएगा।

3.3.6. सहयोगी उच्चतर शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिट' अतिव्यापी पाठ्यक्रम विषयवस्तु/ पाठ्यचर्या से नहीं होंगे; और जिस संस्थान में छात्र उक्त पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत है उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए छात्र केवल एक परीक्षा देगा और मूल्यांकन प्रणाली से गुजरेगा।

3.3.7. डॉक्टोरल उपाधि कार्यक्रम के मामले में, प्रत्येक संस्थान में एक छात्रों के लिए शोध पर्यवेक्षक होना चाहिए। अध्ययन कार्यक्रम के दौरान छात्रों को प्रत्येक सहयोगी संस्थान में कम से कम एक सेमेस्टर बिताना होगा। तथापि, भागीदार संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए ढांचे का अनुपालन करते हुए छात्रों को एक शोध प्रबंध भी जमा करना होगा।

3.3.8. कार्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए यथा लागू, शुल्क (विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों सहित) को प्रवेश के समय सार्वजनिक किया जाएगा। शुल्क ढांचा तर्कसंगत होना चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक समाज के सभी वर्गों की पहुंच हो तथा यह किफायती हो।

3.3.9. प्रत्येक संस्थान अपने संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रतिलेख जारी करेगा, जिसमें यह टिप्पणी होगी कि छात्र ने भागीदार संस्थान में कुछ मॉड्यूल किए हैं।

3.3.10. सहयोगी उच्चतर शिक्षा संस्थान, उन छात्रों के लिए निकास मार्ग की व्यवस्था करेंगे जो छात्रों द्वारा अर्जित 'क्रेडिटों' की भावी संस्वीकृति के संबंध में स्पष्ट विनिर्देशों के साथ युगल कार्यक्रम को पूर्ण करने में असमर्थ हैं।

3.3.11. दोहरी उपाधि कार्यक्रम की पेशकश से संबंधित अन्य सभी उपबंध सहभागी संस्थानों द्वारा अपने संबंधित संस्थान और देश के संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के अनुरूप पारस्परिक रूप से तय किए जाएंगे।

4. सहयोग हेतु शर्तें:-

4.1. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, किसी भी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान के साथ शैक्षिक सहयोग के लिए अपने उपयुक्त प्राधिकारी, जैसे शासी बोर्ड/ प्रबंधन बोर्ड/ सिंडिकेट/ कार्यकारी परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

4.2. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, तकनीकी, चिकित्सा, विधि, कृषि और ऐसे अन्य पेशेवर कार्यक्रमों में सहयोग करने से पूर्व संगत सांविधिक परिषदों/ निकायों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

4.3. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, विशिष्ट देशों के साथ सहयोग के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा विहित मानदंडों का अनुपालन करेंगे।

4.4. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रयोगशाला, पुस्तकालय और कार्यशाला सुविधाओं सहित शैक्षिक अवसंरचना, संगत पेशेवर सांविधिक परिषदों/निकायों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

4.5. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान को सहयोग हेतु अपने सहयोगी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान(नों) के साथ एक लिखित समझौता ज्ञापन अथवा करार करना होगा। समझौता ज्ञापन अथवा करार में सहयोग के प्रयोजन और संबंधित उपबंधों का विवरण स्पष्ट रूप से सम्मिलित होना चाहिए।

4.6. सहयोगात्मक व्यवस्थाओं के तहत शैक्षिक अपेक्षाओं तथा पेशकश किए जाने वाले अध्ययन कार्यक्रम(मों) के अन्य विवरणों को ऐसे कार्यक्रमों के आरंभ होने से पूर्व भारतीय और विदेशी, दोनों उच्चतर शिक्षा संस्थानों की वेबसाइटों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करके सार्वजनिक किया जाएगा।

4.7. जहां कहीं भी विदेशी मुद्रा का लेन-देन शामिल हो, उच्चतर शिक्षा संस्थान (भारतीय और विदेशी), समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जारी संगत विनियमों, मानदंडों, अधिसूचनाओं और अनुदेशों का अनुपालन करेंगे।

4.8. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि अध्ययन कार्यक्रम(मों) और/ अथवा पेशकश किए जाने वाले शोध कार्यक्रम, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध नहीं है।

4.9. संबंधित संस्थान, इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करेंगे और भारत सरकार और समय-समय पर संबंधित सांविधिक निकाय(यों) द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य शर्त(तों) का भी अनुपालन करेंगे।

5. पात्रता:

भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान, इन विनियमों के तहत युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए पात्र होंगे बशर्ते वे निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों: -

5.1. उपर्युक्त बिंदु 2.11 में उल्लिखित कोई भी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) अथवा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त है और आवेदन करते समय 4-प्वाईंट स्केल पर न्यूनतम 3.01 अंक प्राप्तकर्ता है।

अथवा

जो आवेदन करते समय 'टाइम्स हॉयर एजुकेशन' अथवा 'क्यू.एस.वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' के शीर्षस्थ 1000 संस्थानों में स्थान रखता हो;

अथवा

जो आवेदन करते समय 'राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क' (एनआईआरएफ) की विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्षस्थ 100 संस्थानों में स्थान रखता हो;

5.2. जैसा कि उपर्युक्त बिंदु 2.9 में उल्लिखित है, कोई भी ऐसा विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान, जो आवेदन करते समय 'टाइम्स हायर एजुकेशन' अथवा 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' के शीर्षस्थ 1000 संस्थानों में स्थान रखता हो;

6. अंतर्राष्ट्रीय मामला संबंधी कार्यालय:-

सहयोगी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए एक कार्यालय होगा जो एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा और सभी सहयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें असीमित रूप से निम्नवत शामिल हैं:

6.1. विनियामक/सांविधिक निकायों के साथ संपर्क करना;

6.2. विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत सभी छात्रों के लिए समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करना;

6.3. सहयोगात्मक व्यवस्था के तहत विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करना;

6.4. अभिलेखों का रखरखाव करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित जानकारी का प्रसार करना;

6.5. विदेशी छात्रों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना और विदेशी छात्रों का स्वागत करने और उन्हें सहायता प्रदान करने से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करना;

6.6. विदेशों में प्रचार संबंधी क्रियाकलापों और 'ब्रांड' तैयार करने के अभियान में जुटना;

6.7. शैक्षिक सहयोग से संबंधित जानकारी को उच्चतर शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना और जब कभी भी ऐसी जानकारी मांगी जाए, उसे आयोग को उपलब्ध कराना।

6.8. इन विनियमों के तहत पेशकश किए गए कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले भारतीय और विदेशी छात्र, दोनों की शिकायतों को दूर करना।

7. विविध शर्तें:-

7.1 इन विनियमों के तहत प्रदान की गई उपाधि, निम्नवत विनिर्दिष्टताओं के साथ, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी भी समवर्ती उपाधि के समकक्ष होगी: (i) किसी भी प्राधिकरण से समकक्षता प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी; और (ii) प्रदत्त उपाधि में, साधारणतया, किसी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधि से जुड़े सभी लाभ, अधिकार और विशेषाधिकार होंगे।

7.2. इन विनियमों के तहत पेशकश किए जाने वाले कार्यक्रमों को ऑनलाइन और ओ.डी.एल. पद्धति से आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.3. इन विनियमों के तहत किसी भी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान और भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान के बीच, गुप्त रूप से अथवा प्रकट रूप से, अथवा किसी भी नाम से, कोई 'फ्रेंचाईजी' व्यवस्था/ अध्ययन केन्द्र चलाने की अनुमति नहीं होगी।

7.4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत कोई समविश्वविद्यालय संस्थान मौजूदा समविश्वविद्यालय विनियमों के अनुरूप तथा इन विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करते हुए शैक्षिक सहयोग करेगा।

7.5. सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन/ करार में छात्र संबंधी दायित्व, शुल्क और अन्य वित्तीय व्यवस्थाएं, बौद्धिक संपदा अधिकार, छात्रों की उपस्थिति संबंधी पैटर्न, दोनों उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अध्ययन कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहने की अवधि, संयुक्त पर्यवेक्षण व्यवस्था, शोध प्रबंध की भाषा और परीक्षाएं, प्रवेश तथा मूल्यांकन प्रक्रिया और स्नातक प्रक्रिया, जहां कहीं भी लागू हो, से संबंधित उपबंध शामिल होंगे।

7.6. सहयोग से जुड़े विधिक मामलों सहित छात्रों की शिकायतों से संबंधित मामलों का निपटान शैक्षिक सहयोग करने वाले भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा किया जाएगा।

7.7. निगरानी अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से की जाएगी।

7.8. सहयोगी भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, आयोग को समय-समय पर शैक्षणिक सहयोग के संबंध में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराएगा।

8. उल्लंघन किए जाने की स्थिति में परिणाम:-

8.1. यदि यह पाया जाता है कि संबंधित भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान ने इन विनियमों का उल्लंघन किया है, तो आयोग अधिनियम की धारा 14 के तहत यथा उपबंधित, कार्रवाई करेगा और अपनी वेबसाइट तथा मीडिया के माध्यम से भी सूचित करेगा कि उक्त सहयोगात्मक व्यवस्था के तहत पेशकश किए जाने वाले अथवा चलाए जा रहे यह कार्यक्रम(मों) इन विनियमों के अनुरूप नहीं हैं।

8.2. आयोग, इन विनियमों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान(नों) के विरुद्ध यथा विहित आगे की कार्रवाई भी कर सकता है।

9. निवर्चन:-

9.1. इन विनियमों के निवर्चन के संबंध में किसी भी प्रश्न पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा और इस मामले में उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

9.2. भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, भारतीय विधि द्वारा अभिनिर्णित होगा।

10. कठिनाई दूर करने की शक्ति:-

10.1. यदि इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने अथवा प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, कठिनाई को दूर करने के लिए जैसा आवश्यक और उचित प्रतीत हो, भारत के राजपत्र में एक आदेश प्रकाशित कर वि०अ०आ० अधिनियम, 1956 अथवा इन विनियमों के उपबंधों से असंगत उपबंधों का लोप करने उपबंध कर सकता है।

बशर्ते कि इन विनियमों के लागू होने की तिथि से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद आयोग द्वारा इस उपबंध के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./57/2022-23]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2022

F. No. 4-1/2022(IC).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 and in supersession of the University Grants Commission (Promotion & Maintenance of Standards of Academic Collaboration between Indian and Foreign Educational Institutions) Regulations, 2016 notified vide Gazette Notification dated 11.07.2016, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely:-

1. Short title, application and commencement: -

1.1. These Regulations may be called the University Grants Commission (Academic Collaboration between Indian and Foreign Higher Educational Institutions to offer Twinning, Joint Degree and Dual Degree Programmes) Regulations, 2022 (hereafter referred to as the Regulations).

1.2. These regulations lay down the minimum standards for academic collaboration between Indian Higher Educational Institutions and foreign Higher Educational Institutions to offer Twinning, Joint Degree and Dual Degree Programmes.

1.3. These Regulations shall apply to-

1.3.1. Indian Higher Educational Institutions intending to collaborate with Foreign Higher Educational Institutions leading to award of degree(s); and

1.3.2. Foreign Higher Educational Institutions intending to collaborate with Indian Higher Educational Institutions.

1.4. These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: -

2.1. "Act" means the University Grants Commission Act, 1956, as amended from time to time;

2.2. "Academic Collaboration" means academic partnership between Indian Higher Educational Institution(s) and Foreign Higher Educational Institution(s), put into place through an instrument of written Agreement for the purposes of

2.2.1. Twinning Programme

2.2.2. Joint Degree Programme;

2.2.3. Dual Degree Programme;

2.3. "Assessment and Accreditation Agency", in respect of a Foreign Higher Educational Institution, means an agency or body approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country or member of global network of accreditation bodies for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of Higher Educational Institutions;

2.4. "Assessment and Accreditation Agency", in respect of an Indian Higher Educational Institution, means an agency recognized under the University Grants Commission (Recognition and monitoring of Assessment and Accreditation Agencies) Regulations, 2014;

2.5. "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of

the Act;

2.6. "Conventional mode" means a mode of providing learning opportunities through face-to-face interaction between the teacher and learner in regular class room environment but does not exclude supplementary instructions if any for the learner through use of online;

2.7. "Credit Recognition and Transfer" shall mean 'Credit' conferred by a Foreign Higher Educational Institution to be recognised, quantified and included towards the credit requirements for a programme delivered by an Indian Higher Educational Institution solely or jointly with a Foreign Higher Educational Institution and vice versa;

2.8. "Degree" means a degree awarded by an Indian Higher Educational Institution in accordance with the provisions of the section 22 of the UGC Act and a Degree awarded by a Foreign Higher Education Institution in accordance with the relevant rules and regulation of respective foreign country;

2.9. "Foreign Higher Educational Institution" means a Higher Educational Institution duly established or incorporated or recognised in a foreign country and offering academic and research programmes at the undergraduate and/or higher levels;

2.10. "Franchising" for the purpose of these regulations, means and includes the practice of allowing, formally or informally, any person or institution or organisation, other than the Higher Educational Institution recognised under these regulations for offering Twinning, Joint and Dual Degree programmes or any related activity on behalf of or in the name of the recognised Higher Educational Institution, and the terms "franchise" and "franchisee" shall be construed accordingly.

2.11. "Indian Higher Educational Institution" means a university within the meaning of Section 2(f) or an institution deemed to be university under Section 3 of the UGC Act, 1956;

2.12. "Programme" means educational programmes leading to award of Degree(s) including Post graduate and Doctoral programmes;

2.13. "Statutory Body" means a body established or incorporated by or under a Central Act to regulate, coordinate, determine and maintain standards of teaching, examination and research in universities or programme(s) of study, including professional programme(s) leading to the award of degree(s);

3. Provisions of Collaboration: -

Academic Collaboration between Indian and Foreign Higher Educational Institutions under these Regulations shall facilitate the following academic activities: -

3.1. Twinning Programme

3.1.1. "Twinning Programme" shall be a collaborative arrangement whereby students enrolled with an Indian Higher Educational Institution may undertake their programme of study partly in India, complying with relevant UGC Regulations, and partly in the Foreign Higher Educational Institution.

3.1.2. The degree offered under such twinning programmes shall be awarded by the Indian Higher Educational Institution only.

3.1.3. Under twinning programme, credits earned by the students at a Foreign Higher Educational Institution shall be counted towards the degree awarded by the Indian Higher Educational Institution. However, credits earned by the student from the Foreign Higher Educational Institution shall not exceed 30 per cent of the total credits for the

programme.

3.1.4. Credits to be earned by the Indian students from the foreign institution and credits earned by the foreign students from Indian institutions shall be obtained through conventional mode.

3.1.5. Each institution shall issue a transcript for their respective courses, with a remark indicating that the student has taken certain modules at the partner institution, wherever applicable.

3.1.6. The Indian Higher Educational Institution shall ensure that the credits earned by the students from the Foreign Higher Educational Institution shall not be from overlapping course contents/curriculum.

3.1.7. Fees as applicable for the entire duration of the programme (including courses imparted by the Foreign Higher Educational Institution) shall be made public at the time of admission. Fee structure should be reasonable so as to make quality Higher Education accessible and affordable to all sections of the society.

3.1.8. Any degree to be awarded under such twinning programme must be in conformity with the provisions of section 22 (3) of the UGC Act, 1956 and shall also be in conformity with the norms, standards and requirement for award of such degree, as laid down by the statutory authority concerned.

3.1.9. The collaborating Higher Educational Institutions shall make provisions for exit pathways for students who are unable to complete the Twinning programme with clear specification with respect to future acceptance of credits earned by the students.

3.2. Joint Degree Programme

3.2.1. For a "Joint Degree programme", the curriculum shall be designed jointly by the collaborating Indian and Foreign Higher Educational Institutions and, upon completion of the programme, the Degree is awarded by the Indian Higher Educational Institution and the collaborating Foreign Higher Educational Institution with a single Certificate.

3.2.2. Any Joint degree programme to be offered shall conform to the nomenclature and duration of the degrees as specified in section 22 (3) of the UGC Act, 1956 and shall also conform to minimum eligibility and other norms and standards to offer such degree programme.

3.2.3. The students must earn at least 30 per cent of the total credits from each of the Indian and Foreign Higher Educational Institutions. Credits to be earned by the Indian students from the foreign institution and credits earned by the foreign students from Indian institutions shall be obtained through conventional mode.

3.2.4. Credits earned for the course(s) in an institution shall count towards the degrees jointly awarded by both the institutions.

3.2.5. The collaborating Higher Educational Institutions shall ensure that the credits earned by the students shall not be from overlapping course contents/curriculum and the student shall submit to only one examination and evaluation process for each of the courses by the institutions in which he/she has registered for that course.

3.2.6. In case of a doctoral degree programme, students must have a supervisor at each institution. The student shall spend a minimum of one semester in each of the collaborating institutions during the study programme. However, the student shall submit a single thesis adhering to a framework jointly devised by the participating

institutions.

3.2.7. Fees as applicable for the entire duration of the programme (including courses imparted by the Foreign Higher Educational Institution) shall be made public at the time of admission. Fee structure should be reasonable so as to make quality Higher Education accessible and affordable to all sections of the society.

3.2.8. Each Higher Educational Institution shall issue a transcript for their respective courses, with a remark indicating that the student has taken certain modules at the partner institution.

3.2.9. The collaborating Higher Educational Institutions shall make provisions for exit pathways for students who are unable to complete the Joint Degree programme with clear specification with respect to future acceptance of credits earned by the students.

3.2.10. All other provisions related to offering of Joint Degree Programme shall be decided mutually by the participating institutions conforming to the respective rules, regulations and laws of their respective institution and country.

3.3. Dual Degree Programme

3.3.1. "Dual Degree Programme" shall be a programme jointly designed and offered by the Indian and Foreign Higher Educational Institutions in the same disciplines/subject areas and in the same level. The degrees for such programme shall be conferred by the Indian and Foreign Higher Educational Institutions, separately and simultaneously, upon completion of degree requirements of both the institutions. This shall not in any way be construed as two degree programmes in separate disciplines/subject areas and/or levels being pursued simultaneously.

3.3.2. Under the Dual degree programme, the degrees to be offered by an Indian Higher Educational Institution shall conform to the nomenclature and duration of the degrees as specified in section 22 (3) of the UGC Act, 1956 and shall also conform to minimum eligibility and other norms and standards to offer such degree programme.

3.3.3. Prospective students must meet the admission requirements of both the Indian and Foreign Higher Educational Institutions and shall apply to and be admitted separately to both the institutions.

3.3.4. The students must earn at least 30 percent of total credits from the Indian institution. Credits to be earned by the Indian students from the foreign institution and credits earned by the foreign students from Indian institutions shall be obtained through conventional mode.

3.3.5. Credit earned for the course(s) in an institution shall count towards degrees to be awarded by both the institutions.

3.3.6. The collaborating Higher Educational Institutions shall ensure that the credits earned by the students shall not be from overlapping course contents/curriculum; and the student shall submit to only one examination and evaluation process for each of the courses by the institutions in which he/she has registered for that course.

3.3.7. In case of a doctoral degree programme, students must have a supervisor at each institution. The student shall spend a minimum of one semester in each of the collaborating institutions during the study programme. However, the student shall submit a single thesis adhering to a framework jointly devised by the participating institutions.

3.3.8. Fees as applicable for the entire duration of the programme (including courses imparted by the Foreign Higher Educational Institution) shall be made public at the time of admission. Fee structure should be reasonable so as to make quality Higher Education accessible and affordable to all sections of the society.

3.3.9. Each of the Higher Educational Institutions concerned shall issue a transcript for its respective courses, with a remark indicating that the student has taken certain modules at the partner institution.

3.3.10. The collaborating Higher Educational Institutions shall make provisions for exit pathways for students who are unable to complete the Dual Degree programme with clear specification with respect to future acceptance of credits earned by the students.

3.3.11. All other provisions related to offering of Dual Degree Programme shall be decided mutually by the participating institutions conforming to the respective rules, regulations and laws of their respective institution and country.

4. Conditions for Collaboration: -

4.1. The Indian Higher Educational Institutions shall obtain the approval of its appropriate authority, like Board of Governors/Board of Management/Syndicate/Executive Council for academic collaboration with any Foreign Higher Educational Institution.

4.2. Indian Higher Educational Institutions shall seek necessary approval from the relevant Statutory Councils/ Bodies before entering into collaboration in technical, medical, legal, agricultural and such other professional programmes.

4.3. The Indian Higher Educational Institutions shall abide by the norms prescribed by the Government of India from time to time for collaboration with specific countries.

4.4. Academic infrastructure, including laboratory, library and workshop facilities of the Indian Higher Educational Institutions shall meet the requirements of the relevant professional Statutory Councils/ Bodies.

4.5. The Indian Higher Educational Institution shall have to enter into a written Memorandum of Understanding or Agreement with its partner Foreign Higher Educational Institution(s) for collaboration. The MoU or Agreement must categorically include the purposes and related provisions of collaboration.

4.6. The academic requirements and other details of the programme(s) of study to be offered under collaborative arrangements shall be made public by displaying prominently in the websites of both Indian and Foreign Higher Educational Institutions, before the commencement of such programmes.

4.7. Wherever foreign exchange is involved, the Higher Educational Institutions (Indian and foreign), shall abide by and comply with the relevant regulations, norms, notifications and instructions issued by the Reserve Bank of India and Government of India from time to time.

4.8. The Indian Higher Educational Institution shall ensure that the programme(s) of study and/or research offered is not against the national security and territorial integrity of India.

4.9. The Institutions concerned shall comply with all the provisions of these Regulations and also abide by any other condition(s) specified by the Government of India and Statutory Body (ies) concerned from time to time.

5. Eligibility:

The Indian and Foreign Higher Educational Institutions shall be eligible to offer Twinning, Joint Degree and Dual Degree programmes under these regulations provided they fulfil the following eligibility criteria: -

5.1. Any Indian Higher Educational Institution as mentioned in 2.11 which is accredited by National Assessment and Accreditation Council (NAAC) or any other Agency authorised in this behalf, with a minimum score of 3.01 on a 4-point scale at the time of application;

or

which figures in the top 1000 of Times Higher Education or QS World University ranking at the time of application;

or

which figures in the top 100 in university category of National Institutional Ranking Framework (NIRF) at the time of application;

5.2. Any Foreign Higher Educational Institution as mentioned in 2.9 figuring in top 1000 of Times Higher Education or QS World University ranking at the time of application.

6. Office for International Affairs: -

The Collaborating Indian Higher Educational Institution shall have an office for International Affairs which shall function as single point of contact, and shall be responsible for carrying out all collaborative activities including, but not limited to:

6.1. Liaising with regulatory/statutory bodies;

6.2. Working as coordinating agency for all students registered under collaborative arrangements with Foreign Higher Educational Institutions;

6.3. Addressing matters related to Indian students proceeding abroad to Foreign Higher Educational Institutions under collaborative arrangements;

6.4. Maintaining records and disseminate information related to international collaborations;

6.5. Working as the nodal agency for foreign students and coordinate all matters relating to welcoming and supporting foreign students;

6.6. Engaging in promotional activities and brand building campaign abroad;

6.7. Making information relating to academic collaboration available on the Higher Educational Institution's website and provide the same to Commission whenever asked for.

6.8. Addressing the grievances of students, both Indian and foreign, who take admission in programmes offered under these Regulations.

7. Miscellaneous conditions: -

7.1. The Degree awarded under these Regulations shall be equivalent to any corresponding degree awarded by the Indian Higher Educational Institution with the following stipulations: (i) there shall be no further requirement of seeking equivalence from any authority; and (ii) the degree shall have all benefits, rights and privileges as obtaining in the case of degree, awarded by an Indian Higher Educational Institution ordinarily.

7.2. The programmes offered under these Regulations shall not be allowed in online and ODL mode.

7.3. No franchise arrangement/Study Centre, whether overtly or covertly, by whatever nomenclature

used, between a Foreign Higher Educational Institution and an Indian Higher Educational Institution shall be allowed under these Regulations.

7.4. An Institution Deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 shall enter into academic collaboration in accordance with the extant Deemed to be University Regulations and also in compliance with the provisions of these Regulations.

7.5. The MoU/Agreement for collaboration shall include provisions related to student obligations, fees and other financial arrangements, intellectual property rights, student's attendance patterns, duration of stay for the study programme in both the Higher Educational Institutions, joint supervision arrangements, language of thesis and examinations, admission and evaluation process and graduation procedures, wherever applicable.

7.6. Matters relating to the grievances of students, including legal matters relating to the collaboration shall be addressed by the Indian Higher Educational Institution entering into academic collaboration.

7.7. The monitoring shall be done through mandatory public disclosure.

7.8. The collaborating Indian Higher Educational Institution shall furnish information regarding the academic collaboration, as required by the Commission from time to time.

8. Consequence of violations: -

8.1. If the Indian Higher Educational Institution concerned is found to have violated these Regulations, the Commission shall take action as provided under section 14 of the Act and shall also notify on its website and also through media that the programme(s) offered or conducted through the said collaborative arrangements are not in conformity with these Regulations.

8.2. The Commission may also take further action as prescribed against Indian Higher Educational Institution(s) for violating these Regulations.

9. Interpretation: -

9.1. Any question as to the interpretation of these Regulations shall be decided by the Commission and its decision shall be final and binding in the matter.

9.2. Any dispute arising in relation to collaborative arrangement between Indian and Foreign Higher Educational Institution(s) shall be governed by the Indian law.

10. Power to remove difficulty:-

10.1. If any difficulty arises in implementation or in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may by an order published in the official gazette make provisions, not inconsistent with the provisions of the UGC Act, 1956 or these Regulations, as may appeared to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Provided that no order under this provision shall be made by the Commission after the expiry of a period of two years from the date of coming into force of these Regulations.

Prof. RAJNISH JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./57/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA